© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय – 1 **राज्य सरकार के वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	2
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	2
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	9
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	16
राजकोषीय असंतुलन	1.11	18
निष्कर्ष	1.12	21
सिफारिशें	1.13	22
अध्याय – 2 **वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	31
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.5	31
अनुदान सं.11 - के पुनरीक्षण के निष्कर्ष के परिणाम शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	2.6	32
निष्कर्ष	2.7	35
सिफारिशें	2.8	35

अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	37
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	38
दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	39
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	40
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	40
उचंत शेष	3.6	41
निष्कर्ष	3.7	42
सिफारिशें	3.8	43

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	45
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	46
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	48
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	51
1.5	वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	52
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	56
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे	60
2.3	वर्ष 2013-14 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	64
2.4	अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक)	65
2.5	अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	66

2.6	निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले	70
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ, की विवरणी	73
2.8	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई	73
2.9	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा	74
2.10	वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह	77
2.11	पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी	79
2.12	संसद/विधान सभा के पूर्व अनुमोदन के बगैर निकायों/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों में वृद्धि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा अधिक)	82
3.1	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी	85

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय 3, विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों एवम् सांविधिक निगमों तथा सरकारी कम्पनियों की लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन को पृथक रुप से प्रस्तुत किया गया है।

विहंगावलोकन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, को दर्शाता है।

अध्याय 3 दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 94.99 *प्रतिशत* का योगदान दिल्ली के अपने करों से था। कर राजस्व ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था। वर्ष 2009-10 में ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत*) से घट गया। भारत सरकार से अनुदान ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) से घट गए।

(पैरा 1.2 तथा 1.5.1)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 22,366.52 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 1,707.16 करोड़ (8.26 *प्रतिशत*) से बढ़ गया है। 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 82.61 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 530.79 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 17.39 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

सरकार ने ₹ 17,060.35 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था। (31 मार्च 2014) को 2013-14 में इन निवेशों पर लाभ काफी कम 0.07 *प्रतिशत* था। जबकि 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 8.80 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.8.1)

राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2009-10 **में** ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹ 32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 32,080.31 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थी।

(पैरा 1.9.2)

राज्य में राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2009-10 में ₹ 6,550.46 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10,642.36 करोड़ हो गया तथा यह 2013-14 में ₹ 5,614.17 करोड़ था। राज्य में 2009-10 में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3,309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया। प्राथमिक अधिशेष 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ तक बढ़ गया। 2009-10 का ₹ 3,549.96 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2013-14 के दौरान ₹ 3,942.71 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2013-14 के दौरान, ₹ 38,716.47 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 34,122.38 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹4,594.09 करोड़ की बचत हुई। ₹ 4,594.09 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 3,043.95 करोड़ की बचत और पूँजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,550.14 करोड़ की बचत हुई।

(***पैरा 2.2***)

वर्ष 2013-14 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि आठ अनुदानों तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 24 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 2,826.07 करोड़ हुआ।

(पैरा 2.3.1)

आठ उपशीर्षों में ₹ 101.97 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि, अंतिम व्यय यहाँ तक कि मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था।

(पैरा 2.3.6)

12 अनुदानों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 4,383.02 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,294.95 करोड़ (बचतों की राशि का 29.54 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

अनुदान सं. 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नौ मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी जो कि कुल अनुदान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी जो अवास्तविक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा विभाग द्वारा योजनाओं जैसेः- बीआरटी कॉरीडोरों को चालू करना, वॉल्ड सिटी/शाहजहाँनाबाद तथा शहरी गाँवों के विकास में लापरवाही किया जाना इंगित करता है।

(पैरा 2.6)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2013 तक दिए गए ₹ 26,434.30 करोड़ की राशि के कुल 5,235 अनुदानों में से, मार्च 2014 के अन्त तक ₹ 19,064.02 करोड़ के 4,784 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 4,784 उ.प्र. में से ₹ 5,651.17 करोड़ के 2,267 उ.प्र. (47.39 *प्रतिशत*) 10 सालों से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2012-13 तक पाँच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 20 वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2014 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2014 को उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,151.65 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी जिनका समाशोधन तथा लेखे के उचित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और गत पाँच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं - समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को संघ सरकार में शामिल किया जाता है तथा सामान्य रोकड़ शेष का भाग बनाया जाता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। वर्तमान में 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय वितरण दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली को संघीय करों व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

राज्य की रुपरेखा

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-14 में ₹ 4,04,575.65 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (16.76 *प्रतिशत*) की तुलना में उच्च दर पर (15.49 *प्रतिशत*) बढ़ा है। **(परिशिष्ट 1.1)**

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व व पूँजीगत प्रस्तुत की गई हैं **(परिशिष्ट 1.2)**।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता हैं जबकि **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.1
चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14		
खण्ड-अ राजस्व	**कुल**	**कुल**	**खण्ड-अ राजस्व**	**कुल**	**गैर योजनागत**	**योजनागत**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	25560.97	27980.69	**राजस्व व्यय**	20659.36	14904.24	7462.28	22366.52
कर राजस्व	23431.52	25918.69	सामान्य सेवाएँ	5738.57	5445.56	151.91	5597.48
गैर-कर राजस्व	626.93	659.14	सामाजिक सेवाएँ	11737.44	5999.01	6315.53	12314.54
			आर्थिक सेवाएँ	2350.82	2655.17	994.84	3650.01
भारत सरकार से अनुदान	1502.52	1402.86	सहायता अनुदान तथा अंशदान	832.53	804.50	-	804.50
खण्ड-ब पूँजीगत			**खण्ड-ब पूँजीगत**				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत व्यय	4176.63	4.49	4702.93	4707.42
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	724.90	802.92	संवितरित ऋण व अग्रिम	3734.83	3577.38	2074.99	5652.37
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	922.41	4162.89	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	1287.99	1325.29	-	1325.29
प्रारंभिक नकद शेष$	4636.28	1985.75	अंतिम नकद शेष$	1985.75	-	-	880.65
कुल	**31844.56**	**34932.25**		**31844.56**			**34932.25**

** भारत सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रुप में है।*

$ नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।

(स्रोतः वर्ष 2013-14 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. लेखा, कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार)

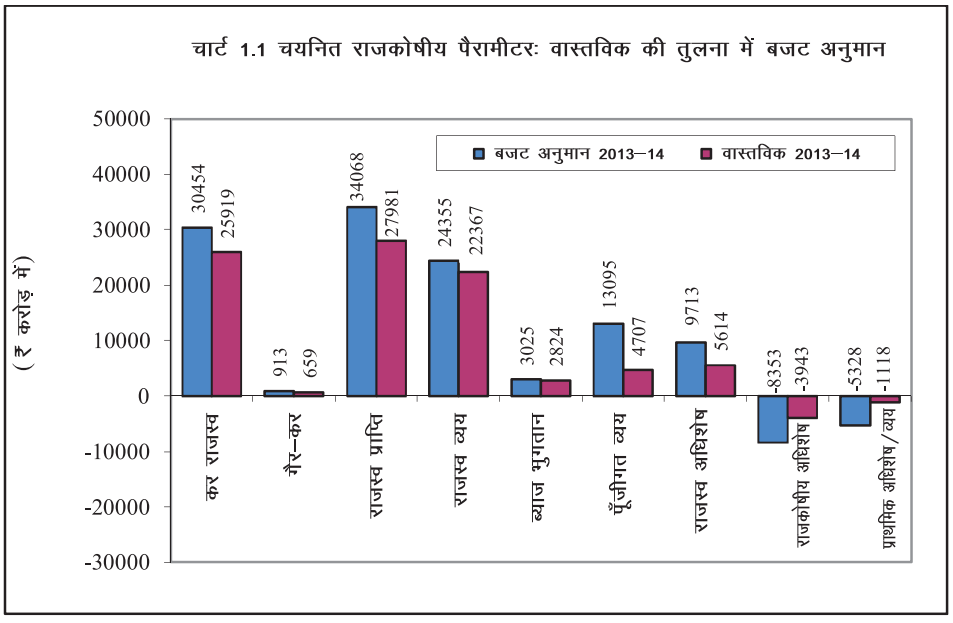
पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) व गैर-कर राजस्व में ₹ 32.21 करोड़ (5.14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से अनुदानों में ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) की कमी हुई ।
- राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 1,707.16 करोड़ (8.26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 530.79 करोड़ (12.71 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई ।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 78.02 करोड़ (10.76 *प्रतिशत*) से बढ़ी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 1,917.54 करोड़ (51.34 *प्रतिशत*) बढ़ा ।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 3,240.48 करोड़ (351.31 *प्रतिशत) से बढ़ी* जबकि पुनर्भुगतान ₹ 37.30 करोड़ (2.90 *प्रतिशत*) से बढ़ा ।
- 2013-14 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 1,105.10 करोड़ (55.65 *प्रतिशत*) से घटा ।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक आँकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय पैरामीटरः वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



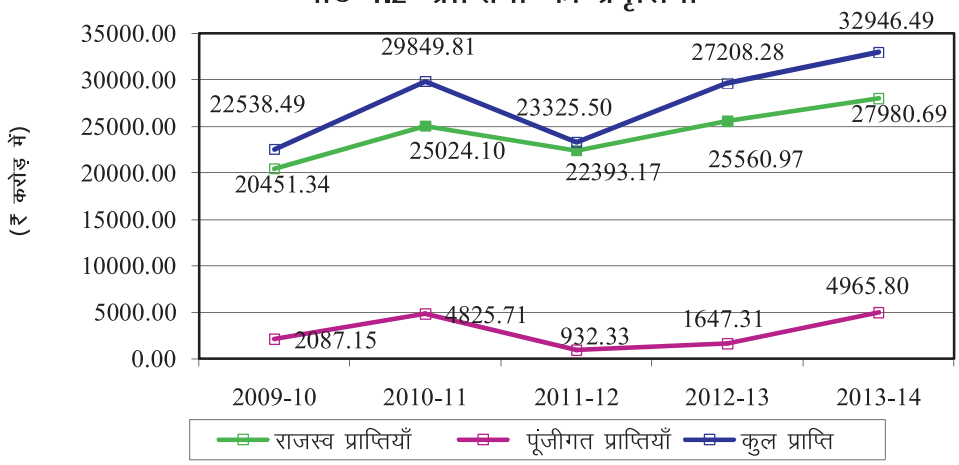
जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है, कई प्रमुख मापदण्डों के मामले में अनुमान व वास्तविकता में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय घाटा जो ₹ 8,352.65 करोड़ अनुमानित था ₹ 4,409.94 करोड़ से कम होकर ₹ 3,942.71 करोड़ था। प्राथमिक घाटा, ₹ 5,327.65 करोड़ अनुमानित था जो ₹ 1,118.42 करोड़ हो गया।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों के दो वर्ग हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएँ आती हैं। **तालिका-1.1** वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवम् संवितरण तथा जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृतियाँ दर्शाता है।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

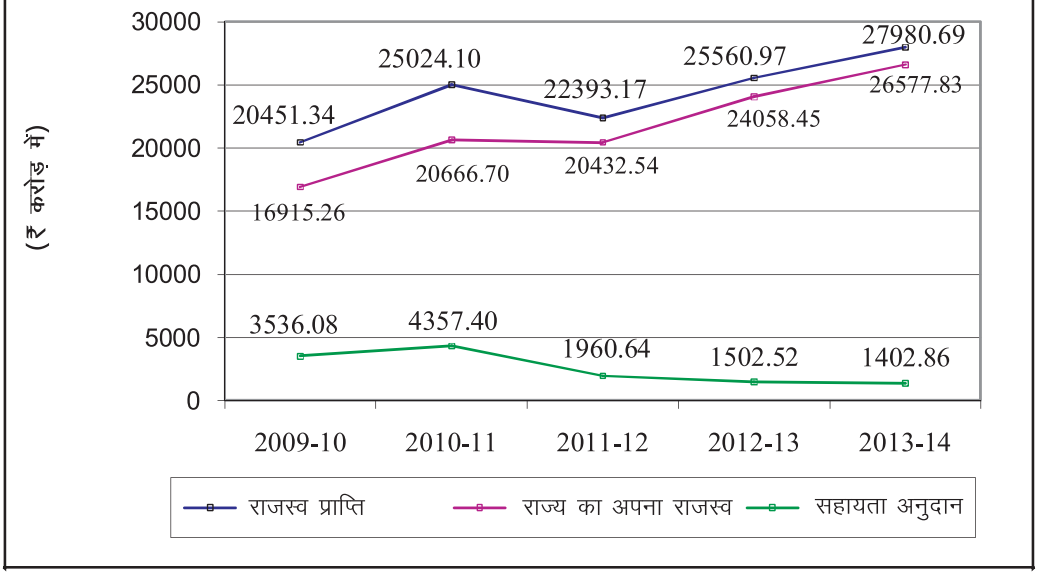


राजस्व **प्राप्तियाँ** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों का 2009-10 के 90.74 *प्रतिशत* की तुलना में 2013-14 में 84.93 *प्रतिशत* थी।

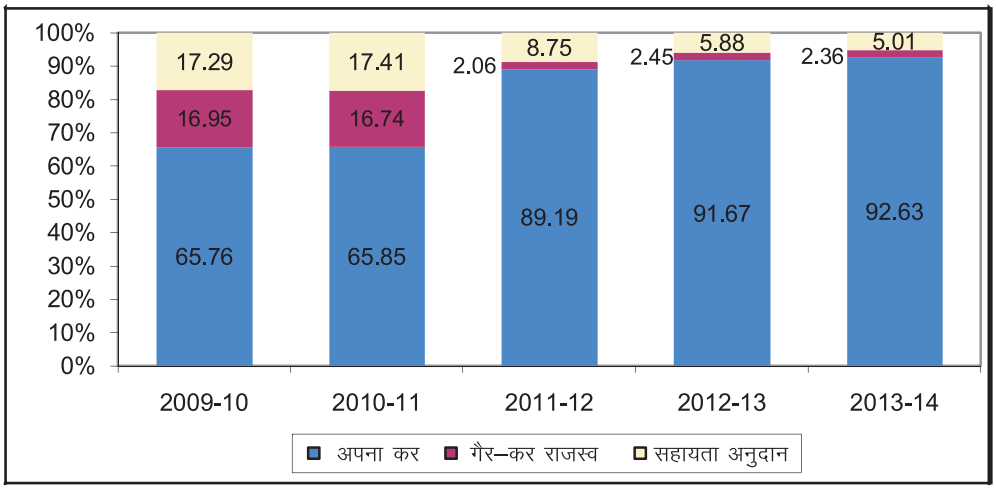
1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ व संरचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है तथा क्रमशः **चार्ट 1.3 व चार्ट 1.4** में भी दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.4: 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक



2012-13 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का अंश 91.67 *प्रतिशत* था तथा 2013-14 में यह आंशिक रूप से बढ़कर 92.63 *प्रतिशत* था । 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव था। दिल्ली का गैर-कर राजस्व 2009-10 में ₹ 3,467.40 करोड़ था। यह 2010-11 में ₹ 4,188.95 करोड़ तक बढ़ गया किंतु ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण 2013-14 में ₹659.14 करोड़ तक घट गया। कुल प्राप्तियों में गैर कर प्राप्ति का अंश 2009-10 में 16.95 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 2.36 *प्रतिशत* था जो एक उचित प्रवृत्ति नहीं है। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में प्रस्तुत की गई हैः

प्रतिशत

तालिका 1.2

स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹करोड़ में)	**20451.34**	**25024.10**	**22393.17**	**25560.97**	**27980.69**
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	**25.07**	**22.36**	**(-) 10.51**	**14.15**	**9.47**
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	9.40	9.90	7.54	7.34	6.92
उत्प्लावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	**1.69**	**1.39**	**(-) 0.60**	**0.82**	**0.59**
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्प्लावकता	**0.70**	**1.40**	**1.21**	**1.00**	**0.66**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में 2009-14 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई, वर्ष 2011-12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,630.93 करोड़ कम हो गई। 2013-14 की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 9.47 *प्रतिशत* बढ़ गई जबकि स.रा.घ.उ. में वृद्धि 16.18 *प्रतिशत* रही (**परिशिष्ट 1.4**)। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर उत्प्लावकता पिछले वित्तीय वर्ष *से 1.00 प्रतिशत से* कम हो कर 0.66 *प्रतिशत* हो गई।

2009-10 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता बहुत कम थी (स.रा.घ.उ. में प्रति एक *प्रतिशत* वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में मात्र 0.70 *प्रतिशत* वृद्धि)। यद्यपि, यह स्थिति 2010-11 में उल्लेखनीय रुप से परिवर्तित हो गई जब राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता बढ़कर 1.40 *प्रतिशत* हो गई परंतु प्रवृति जारी न रह पाई। 2012-13 में यह कम होकर 1.00 *प्रतिशत* और 2013-14 में 0.66 *प्रतिशत* हो गई।

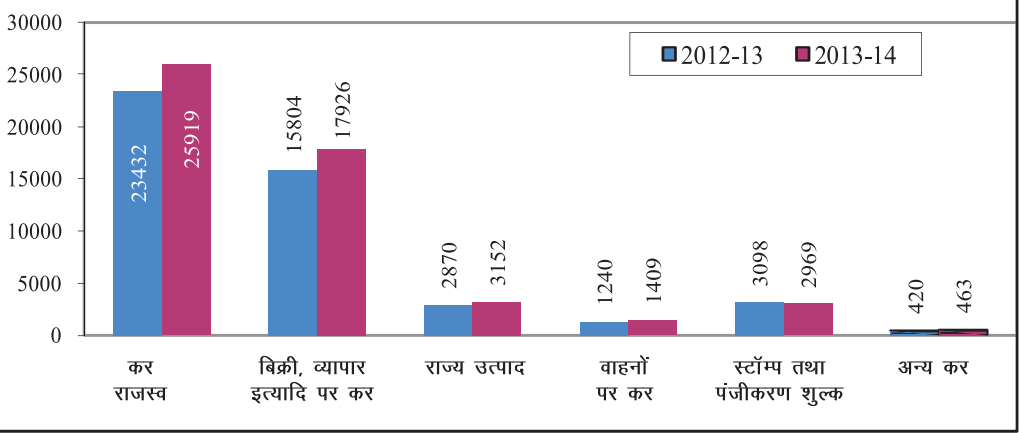
1.5.1 राज्य के अपने संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2009-14 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2012-13 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2013-14 में 9.47 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2009-10 में 65.76 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 92.63 *प्रतिशत* हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2009-10 में 16.95 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 2.36 *प्रतिशत* हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2009-10 में 17.29 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 5.01 *प्रतिशत* हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक **चार्ट 1.5** में दिए गए हैं:

चार्ट 1.5 : 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कर राजस्व घटक



(स्रोतः वित्त लेखे 2012-13 एवं 2013-14)

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 25,918.69 करोड़) विगत वर्ष (₹ 23,431.52 करोड़) की तुलना में ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 69.16 *प्रतिशत* योगदान था तथा पूर्व वर्ष से यह 13.43 *प्रतिशत* बढ़ा था।

राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 281.89 करोड़ (9.82 *प्रतिशत*) बढ़ा जबकि स्टाम्प ड्यूटी के ₹ 128.99 करोड़ (4.16 *प्रतिशत*) घटा। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों का अंशदान क्रमशः ₹ 169.10 करोड़ (13.64 *प्रतिशत*) व ₹ 43.16 करोड़ (10.28 *प्रतिशत*) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था, वर्ष 2009-10 से ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत)* कम हो गया।

2012-13 में ₹ 340.03 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 379.35 करोड़ हो गई, का कुल गैर-कर प्राप्तियों में 2012-13 में 54.24 *प्रतिशत* और 2013-14 में 57.55 *प्रतिशत* योगदान था। 2013-14 में ₹ 379.35 करोड़ की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 340.23 करोड़ स्थानीय निकायों से प्राप्त किया गया था।

1.5.2 संग्रहण की लागत

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रह, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् है:

तालिका 1.3

संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	13750.95	53.67	0.39
	2012-13	15803.69	75.70	0.48
	2013-14	17925.71	72.56	0.40
राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	2533.72	10.79	0.43
	2012-13	2869.74	23.67	0.82
	2013-14	3151.63	13.01	0.41
वाहनों पर कर	2011-12	1049.19	31.79	3.03
	2012-13	1240.18	28.91	2.33
	2013-14	1409.28	33.63	2.38

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गई। वर्ष 2013-14 के राजस्व की वसूली पर व्यय में वृद्धि वर्ष 2012-13 के दौरान त्रिखंडित दि.न.नि के पार्किंग प्रभारों के मुख्य शीर्ष '2041' डी.1 (4) (14) (1) (2) एवं (3) के अंतर्गत पहली बार व्यय शीर्ष का निर्माण करने के कारण हुई।

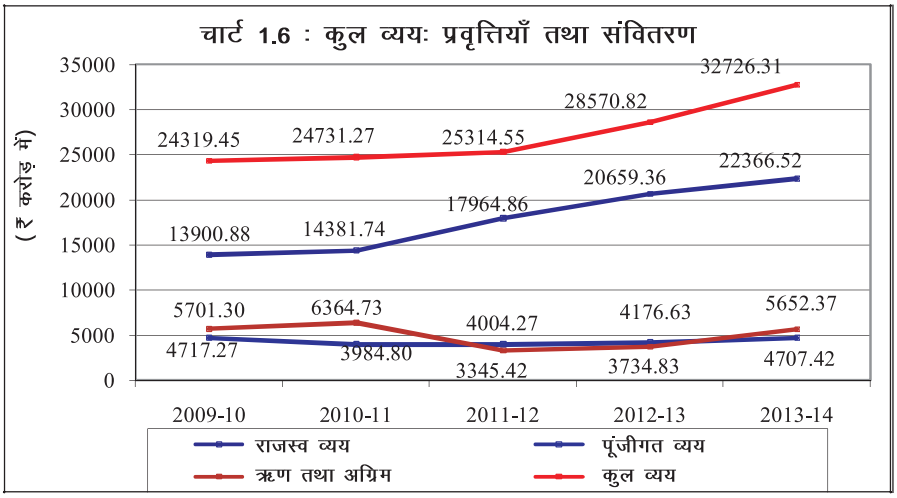
1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

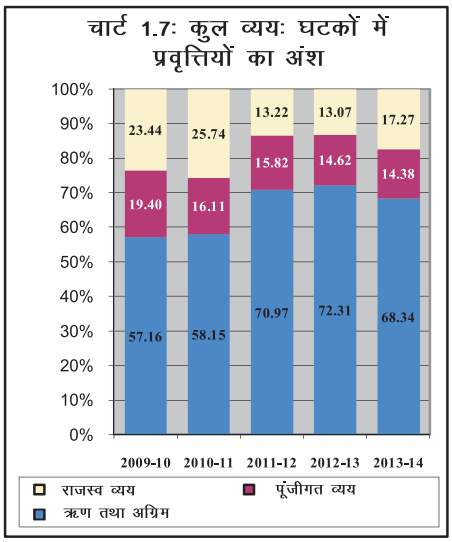
राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूँजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2009-10 में ₹ 24,319.45 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,726.31 करोड़ हो गया।

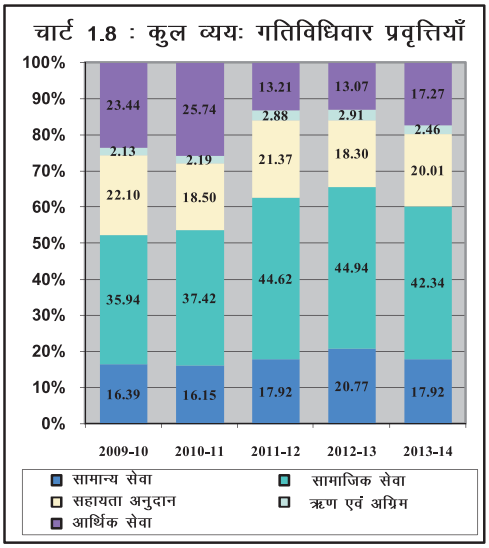
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 32,726.31 करोड़ विगत वर्ष से ₹ 4,155.49 करोड़ (14.54 *प्रतिशत*) बढ़ा है। कुल वृद्धि में से, राजस्व व्यय ₹ 1,707.16 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 530.79 करोड़ था, जबकि ऋण व अग्रिमों में ₹ 1,917.54 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय के अंश में सीमान्त वृद्धि राज्य द्वारा निधि के कम उत्पादक आबंटन का संकेतक है। विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 13,900.88 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 22,366.52 करोड़ हो गया जो 60.90 *प्रतिशत* की वृद्धि थी। तुलनात्मक रूप में पूँजीगत व्यय जो 2009-10 में ₹ 4,717.27 करोड़ था, 2013-14 में घटकर ₹ 4,707.42 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 0.21 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की।

पूँजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2009-10 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमशः 25.34 *प्रतिशत* तथा 74.66 *प्रतिशत* थे जबकि 2013-14 में ये क्रमशः 17.39 *प्रतिशत* व 82.61 *प्रतिशत* थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2012-13 में ₹ 10,670.46 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,494.75 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 12,165.21 करोड़ हो गया जबकि गैर-योजनागत व्यय 2012-13 में ₹ 743.20 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,165.54 करोड़ से 2013-14 में ₹ 14,908.74 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 44.93 *प्रतिशत* तथा 55.07 *प्रतिशत* था। **चार्ट 1.6** 2009-14 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृतियाँ प्रस्तुत करता है:



'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में दिखाया गया है।





चार्ट 1.8 दर्शाता है कि 2009-14 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 16.39 *प्रतिशत* से बढ़कर 17.92 *प्रतिशत* हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 35.94 *प्रतिशत* से बढ़कर 42.34 *प्रतिशत* हो गया। जबकि ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय पुनः 2009-10 में 23.44 *प्रतिशत* से 13.07 *प्रतिशत* घट गया तथा समान अवधि में पुनः बढ़कर 17.27 *प्रतिशत* हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रुप से तीन पहलू जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान),

व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय के उत्तरदायित्व को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रमुखतः राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। इस प्रकार, राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2013-14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.4

2010–11 और 2013–14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत में*)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता **	कु. व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु. व्य.	सा.से.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2010–11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2010–11	9.78	70.70	43.92	16.11	17.06	9.55
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013–14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2013–14	8.09	78.86	46.60	14.38	18.85	9.10

** स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रुप में

कु.व्यः कुल व्यय वि.व्य. : विकास व्यय

सा.से.व्यः. सामाजिक सेवा व्यय पूँ. व्य. : पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।

* सामान्य श्रेणी राज्यों में तीन राज्य-दिल्ली,गोवा व पांडिचेरी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : स.रा.घ.उ. हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संग्रहित है।

राजकोषीय प्राथमिकता व्यय किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्व है। उपरोक्त तालिका 2010-11 तथा चालू वर्ष 2013-14 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना प्रस्तुत करता है।

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2010-11 एवं 2013-14 दोनों वर्षों में निम्न था।

- सरकार ने वि.व्य. को 2010-11 एवं 2013-14 में राजकोषीय प्राथमिकता दिया क्योंकि इसका कु.व्य. से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कु.व्य. में पू.व्य. का अनुपात 2010-11 एवं 2013-14 दोनों वर्षों में अधिक था।
- 2013-14 में कु.व्य. का शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से आंशिक रुप से अधिक था।
- 2010-11 एवम् 2013-14 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी के राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों हेतु व्यय के वैज्ञानिकीकरण हेतु समुचित उपाय करना तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा श्रेष्ठ वस्तुओं* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5 तथा चार्ट 1.9** चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5

विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

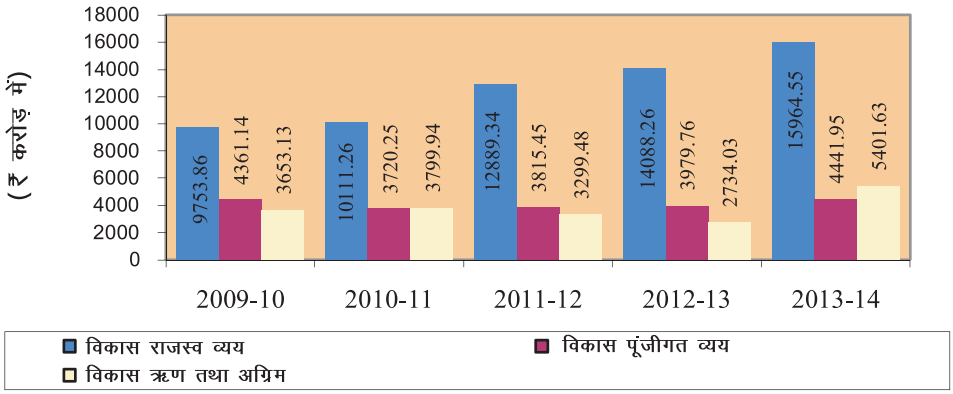
विकास व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (नीचे क से ग तक)	17768.13	17631.45	20004.27	20802.05	27178.29	25808.13
क. विकास राजस्व व्यय	9753.86	10111.26	12889.34	14088.26	16917.89	15964.55
ख. विकास पूंजीगत व्यय	4361.14	3720.25	3815.45	3979.76	4566.40	4441.95
ग. विकास ऋण व अग्रिम	3653.13	3799.94	3299.48	2734.03	5694.00	5401.63

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ** वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है , यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

चार्ट 1.9 : वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए विकास व्यय



2013-14 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत् वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 953.34 करोड़ तथा ₹ 124.45 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 63.67 *प्रतिशत* व 1.85 *प्रतिशत* बढ़े। विकास राजस्व व्यय में वृद्धि नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के प्रति निरन्तर सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। विकास पूँजीगत व्यय विगत वर्ष से 2013-14 में ₹ 462.19 करोड़ बढ़ा जबकि विकास ऋण व अग्रिम ₹ 2,667.60 करोड़ बढ़ा।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2014 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 17,060.35 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.6**)। इस निवेश पर प्रतिफल 2013-14 में बहुत कम 0.07 *प्रतिशत* था। 2009-14 के दौरान प्रतिफल 0.07 तथा 0.38 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने

2013-14 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.80 *प्रतिशत* ब्याज दर चुकाया। **तालिका 1.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6

निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश	11017.56	12616.58	14655.90	16388.15	17060.35
प्रतिफल	41.56	46.59	33.00	26.25	11.95
प्रतिफल (%)	0.38	0.37	0.23	0.16	0.07
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%)	9.52	9.10	9.77	9.73	8.80
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (%)	9.14	8.73	9.54	9.57	8.73

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2013-14 में निवेश में वृद्धि मुख्य रुप से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 672.20 करोड़, के नये निवेश के कारण थी।

23 कंपनियों में ₹ 17,060.35 करोड़ के कुल निवेश में से केवल पाँच कंपनियों जैसे, दिल्ली गृह वित्त सहकारी समिति लि., इंद्रप्रस्थ चिकित्सा निगम लि., दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम, इंद्रप्रस्थ गैस लि. तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ में मार्च 2014 तक ₹ 89.53 करोड़ का निवेश किया गया जिससे 2013-14 के दौरान ₹11.95 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि इन कंपनियों में निवेश का 13.35 *प्रतिशत* था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार भी संस्थानों/संगठनों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2014 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 55,737.28 करोड़ था (**तालिका 1.7**)।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक शेष	39219.78	45147.73	47877.90	50887.82
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	6364.73	3345.41	3734.83	5652.37
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	436.77	376.25	724.90	802.91
अन्त शेष	45147.73	48116.90	50887.82	55737.28
निवल योग	5927.95	2969.17	3009.93	4849.46
ब्याज प्राप्तियाँ	3869.84	174.14	340.03	379.35
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	8.57	0.36	0.67	0.68

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2013-14 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 14,629.68 करोड़), शहरी विकास योजना (₹ 1,718.53 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13,658.14 करोड़), पावर परियोजनाओं के लिए ऊर्जा क्षेत्र (₹ 10,157.55 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14,990.52 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5**, 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष आते है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2009-10 में ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹ 32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश' की ₹ 32,080.31 करोड़ की तथा 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की ₹ 0.01 करोड़ की बाध्यताएँ थीं। 2013-14 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.15 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.21 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता[*] का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स्थिरीकरण[†] गैर-ऋण प्राप्तियों[‡] की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों[§] की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है।) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। **तालिका 1.8** 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

[*] ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रुप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अथवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु द्रव्य परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त प्रतिफलों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

[†] स्थिरता की एक आवश्यक दशा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के विकास की दर सार्वजनिक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक अधिशेष शून्य या धनात्मक या साधारणतः ऋणात्मक हो। यदि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा क्वांटम विस्तार (ऋण दर विस्तार) दी होने पर, ऋण धारणीयता का नियम बताता है कि यदि मात्रा विस्तार व प्राथमिक घाटा शून्य हो, ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि प्राथमिक घाटा व क्वांटम विस्तार ऋणात्मक हो जाएँ, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और यदि ये धनात्मक हैं तो ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततः नीचे गिरेगा।

[‡] अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

[§] इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याजभुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रुप में परिभाषित करते है तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

तालिका 1.8

ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (मात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+)506.79	(+)5984.78	(+)3105.77	(+)2937.71	(+)919.80
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	1479.97	4210.52	(-) 6274.57	821.95	790.57
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1162.53	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58	2837.60
ब्याज भुगतान का भार (आईपी/आरआर अनुपात)	12.09	10.31	13.03	11.20	10.09
ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात	12.20	11.92	9.97	8.40	7.23

(स्रोतः संकेतकों की गणना हेतु आँकड़े संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र.ले.का. दिल्ली से लिए गए हैं।

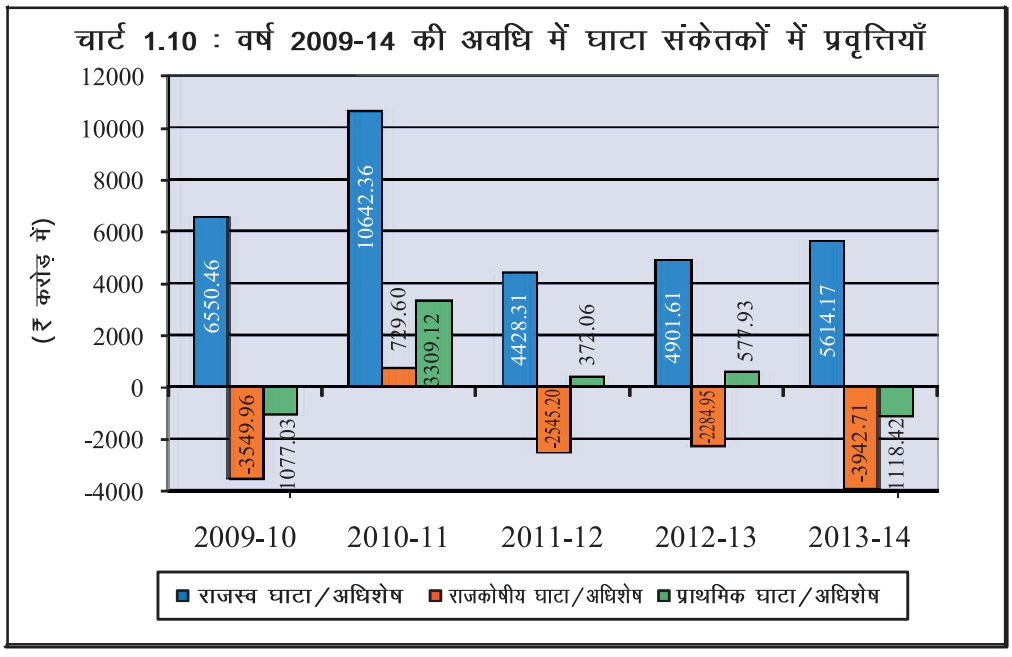
- प्राथमिक घाटे के साथ मात्रा विस्तार 2009-10 से 2013-14 तक सकारात्मक रहा, जो ऋण के स्थिर होने का सूचक है। उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृति भी अनुकूल स्थिति में थी।
- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2013-14 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 2,419.72 करोड़ व ₹ 1,707.16 करोड़ बढ़े। संसाधन अंतर 2012-13 के ₹ 821.95 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 790.57 करोड़ हो गया।
- ब्याज भुगतान के भार में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2009-10 में 12.09 *प्रतिशत* से कम होकर 2010-11 में 10.31 *प्रतिशत* हो गया, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान 13.03 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा 2013-14 के दौरान 10.09 *प्रतिशत* की कमी हो गई।
- ऋण तथा स.रा.घ.उ. अनुपात दर्शाता है कि यद्यपि ऋण स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,837.61 करोड़ (9.70 *प्रतिशत*) से बढ़ी है, स.रा.घ.उ. भी समान अवधि के दौरान उच्च दर (16.18 *प्रतिशत*) से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरुप ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 2009-10 में 12.20 *प्रतिशत* से कम होकर 2013-14 में 7.23 *प्रतिशत* हो गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

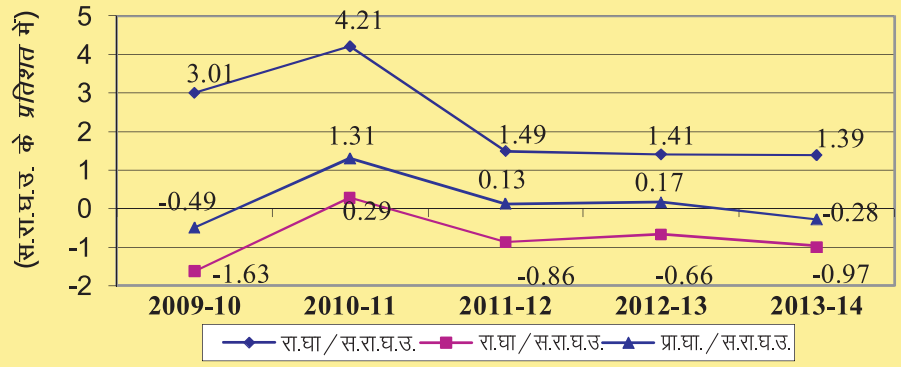
तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड - राजस्व, वित्तीय व प्राथमिक घाटे - एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रुप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृतियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 व **चार्ट 1.11** 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाता हैं।



चार्ट 1.11: स.रा.घ.उ. के संदर्भ में घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां



राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के आधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2009-14 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। 2009-10 में यह ₹ 6,550.46 करोड़ था जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 10,642.36 करोड़ हो गया 2013-14 में यह ₹ 5,614.17 करोड़ था।

2009-14 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन अंतर के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2009-10 में ₹ 3,549.96 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के आधिक्य में बदल गया तथा 2013-14 के दौरान ₹ 3,942.71 करोड़ का घाटा था।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ऊपर प्राथमिक व्यय की अधिकता (ब्याज भुगतानों के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2009-10 में राज्य में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3,309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2013-14 में प्राथमिक घाटा ₹ 1,118.42 करोड़ से बढ़ गया।

2013-14 में राजस्व प्राप्तियाँ 9.47 *प्रतिशत* तक बढ़ गई, किन्तु राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 8.26 *प्रतिशत* तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 712.56 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है:

तालिका 1.9

राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	राजकोषीय घाटा/बचत* (-/+)	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71
2.	राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	(+) 6550.46	(+)10642.36	(+) 4428.31	(+)4901.61	(+)5614.17
3.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4717.27	(-) 3984.80	(-) 4004.27	(-) 4176.63	(-)4707.42
4.	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-) 5383.15	(-) 5927.96	(-) 2969.17	(-) 3009.93	(-)4849.46
	राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**					
1.	भा.स. से ऋण	1162.54	3595.88	(-) 531.80	365.58	2837.60

** घाटे के आंकड़े – में तथा अधिशेष + में दिखाए गए है*

*** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं*

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूंजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पतीय पूर्ति नहीं थी। चूँकि 2009-14 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूंजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10

प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-) 1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+)13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	(+) 7721.75	(+) 372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	(+) 8489.39	(+) 577.93
2013-14	28783.60	19542.23	4707.42	5652.37	29902.02	(+) 9241.37	(-) 1118.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2009-10 में प्राथमिक वित्तीय घाटा हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्राथमिक घाटा हुआ। हालांकि, 2010-11 से 2012-13 में राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था परन्तु यह 2010-11 में ₹ 3,309.12 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 577.93 करोड़ हो गया। 2013-14 में राज्य में पुनः ₹ 1,118.42 करोड़ प्राथमिक घाटा हुआ। प्राथमिक व्यय के *प्रतिशत* के रुप में पूंजीगत व्यय विगत वर्ष में 16.25 *प्रतिशत* के प्रति कम होकर 2013-14 में 15.74 *प्रतिशत* हो गया। पूंजीगत व्यय पर पूँजीगत परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए ।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) बढ़ी । वर्ष 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 94.99 *प्रतिशत* दिल्ली के अपने करों से मिला था। कर राजस्व ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) बढ़ा । गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था वर्ष 2009-10 में ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत*) घटा । भारत सरकार से अनुदान ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) कम हुआ ।

2013-14 मे पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 530.79 करोड़ (12.71 *प्रतिशत*) बढ़ा। पूंजीगत व्यय 2013-14 के दौरान कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को सम्मिलित न करते हुए) का मात्र 17.39 *प्रतिशत* था ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के द्वारा संवितरित बकाया ऋणों व अग्रिम के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2009-14 की अवधि के दौरान उधारों की लागत की पूर्ति हेतु अपर्याप्त थी। सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹17,060.35 करोड़ (31 मार्च 2014 तक) निवेश किए थे। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिपूर्ति 2013-14 में 0.07 *प्रतिशत* की नगण्य मात्रा थी जबकि सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने उधारों पर 8.80 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज अदा किया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों के सम्बन्ध में देखे जाने पर यह दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 712.56 करोड़ बढ़ा, जबकि राजकोषीय घाटा ₹1,657.76 करोड़ बढ़ा, 2013-14 के दौरान ₹1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा था।

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2009-10 में ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों का अंश' का ₹ 32,080.31 करोड़, 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' का ₹ 0.01 करोड़ था।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नोक्त पर विचार कर सकती है:

- आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, और
- इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।

अध्याय–2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किये पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2013-14 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 13 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न **तालिका 2.1** के अनुसार थीः

तालिका 2.1

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत्त	राजस्व	21172.86	1115.96	22288.82	19461.83	(-) 2826.99
	पूँजीगत	5474.48	18.37	5492.85	4708.87	(-) 783.98
	ऋण व अग्रिम	6293.77	123.00	6416.77	5652.37	(-) 764.40
कुल दत्तमत्त		**32941.11**	**1257.33**	**34198.44**	**29823.07**	**(-) 4375.37**
भारित	राजस्व	3181.87	9.11	3190.98	2974.02	(-) 216.96
	पूँजीगत	0.05	0	0.05	0	(-) 0.05
	ऋण व अग्रिम	1327.00	0	1327.00	1325.29	(-) 1.71
कुल भारित		**4508.92**	**9.11**	**4518.03**	**4299.31**	**(-) 218.72**
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड़		**37450.03**	**1266.44**	**38716.47**	**34122.38**	**(-) 4594.09**

2013-14 के दौरान कुल ₹ 38,716.47 करोड़ के अनुदान व विनियोग के प्रति ₹ 34,122.38 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 4,594.09 करोड़ की कुल बचत हुई। ₹ 4,594.09 करोड़ की कुल बचत में ₹ 3,043.95 करोड़ बचत राजस्व सेक्शन के 13 अनुदानों और एक विनियोग (सार्वजनिक ऋण) तथा ₹ 1,550.14 करोड़ पूँजीगत और ऋणों एवम् अग्रिम सेक्शन के अन्तर्गत था।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटन प्राथमिकताओं के संदर्भ में विनियोग

अनुमानों को तैयार करते समय, विभाग को बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की गुंजाईश को न्यूनतम करने के उद्देश्य के साथ पिछले निष्पादन, विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिपादन/ कार्यान्वयन के स्तर, योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थागत योग्यता, व्यय की बाध्यता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे यह दर्शाते हैं कि आठ अनुदानों तथा एक विनियोग से संबंधित 24 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 50 करोड़ तथा कुल ₹ 2826.07 करोड़ अधिक थी (**परिशिष्ट 2.1**)।

बचत के कई कारणों में योजना की धीमी प्रगति, बिलों/दावों की गैर/कम प्राप्ति, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना, सहायता अनुदानों का सामान्य वेतन में विभाजन तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन निधियों को जारी नहीं किया जाना, मदों की गैर-खरीद, मितव्ययी उपाय इत्यादि थे।

2.3.2 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों पर समय-समय पर जारी निर्देशों तथा पिछले वर्षों में किये गये संवितरणों आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान तालिका तैयार करनी होती है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के विनियोग लेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि छः मामलों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक या कुल बजट के 20 *प्रतिशत* से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जो बजट बनाते समय अव्यावहारिक आँकड़ों, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है जिसका ब्यौरा **तालिका 2.2** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2
2009-14 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कारण
राजस्व - दत्तमत								
	अनुदान सं. 3 - न्यायिक प्रशासन							
1.	2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	कु. प्रा.	29.46	25.69	31.67	34.59	39.62	बचतें मुख्यतः समय पर खरीद प्रस्तावों के गैर-अन्तिमकरण, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, भंडार मदों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरे जाने, वेतन तथा मदों के गैर-भुगतान के कारण हुई थी।
		ब.	8.49	6.50	8.69	5.00	6.04	
		%	28.81	25.30	27.43	14.46	15.24	
	अनुदान सं. 5 - गृह							
1.	2055 डी.1(1)(1)-फोरेसिंक साईंस लैबोरेटरी	कु. प्रा.	12.36	12.11	16.52	16.67	19.25	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों की प्राप्ति, भंडार गृह मदों की कम खरीद, खरीद प्रस्तावों का गैर अन्तिमकरण, मितव्ययिता, कम दौरों के कारण हुई थी।
		ब.	2.56	2.85	6.49	4.89	3.41	
		%	20.71	23.53	39.28	29.33	17.71	
	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य							
1.	2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (श.प.क.)	कु. प्रा.	15.00	10.00	10.00	4.50	4.90	बचतें मुख्यतः या तो भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति या फिर परिवार कल्याण निदेशालय के वेतन तथा दि.न.नि. और गै.स.सं. को अनुदान दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सहमति/अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण हुई थीं।
		ब.	12.22	2.04	7.45	1.93	3.50	
		%	81.47	20.40	74.50	42.89	71.43	

क्र.सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कारण
	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग							
1.	2217 ए.8(2)(1)(26)-नगरीय सुधारों के लिए सहायता अनुदान	कु. प्रा.	201.93	207.45	300.93	339.87	325.16	बचतें मुख्यतः या तो योजना के तहत दि.न.नि. के अनुदान की गैर/कम अदायगी या फिर नगरपालिका द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान के विभाजन -के कारण हुई थीं।
		ब.	198.93	64.45	300.93	189.87	325.16	
		%	98.51	31.06	100.00	55.86	100.00	
पूंजीगत-दत्तमत								
	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण							
1.	5055 डी.डी.1(3)(1)-परिवहन का वैकल्पिक प्रकार इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरूआत	कु. प्रा.	60.00	10.00	250.00	10.00	100.00	बचतें मुख्यतः योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण हुई थीं।
		ब.	30.00	10.00	240.75	8.39	97.21	
		%	50.00	100.00	96.30	83.90	97.21	
	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग							
1.	4202 बी.बी.4(1)(4)(2)-दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण	कु. प्रा.	60.00	40.00	35.00	50.00	80.00	बचतें मुख्यतः समय पर अनुमोदनों की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
		ब.	14.59	8.16	23.32	19.54	20.18	
		%	24.31	20.40	66.62	39.08	25.23	

कु.प्रा.- कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुर्नविनियोग), ब.-बचत, % - *प्रतिशत*

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता के अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा विभाग द्वारा स्थायी अव्ययित प्रावधानों तथा योजना के गैर-क्रियान्वयन में बचाव के लिए प्रभावी उपचारी कार्रवाई करने में विभागों की असफलता का सूचक हैं।

2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें

8 अनुदानों के 56 उपशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गए अथवा सरकारी खातों में वित्त वर्ष 2013-14 की समाप्ति के पूर्व वापिस जमा करा दिया गया। उप-शीर्षों का विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बिना ही तैयार किए गए थे। जो प्रमुख योजनाएँ सम्पूर्ण प्रावधानों के गैर-उपयोग के कारण आरंभ नहीं हो सकी अथवा प्रभावित हुई, वे थीं- अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (₹ 45 करोड़), नगर सुधार के लिए अनुदान (₹ 325.16 करोड़), कनॉट प्लेस (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के पुनर्विकास के लिए न.दि.न.प. को अनुदान (₹ 45 करोड़), वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी. (₹ 47 करोड़), निर्माण-व्यापार तथा कर उपभवन (₹ 26 करोड़), बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी (₹ 140 करोड़), बिक्री कर की पुनःअदायगी के लिए

एम.आर.टी.एस. को ऋण (₹75 करोड़), चन्द्रावल डब्ल्यू टी.पी. हेतु दि.ज.बो. का ऋण (₹ 35 करोड़), जे.एन.एन.यू.आर. एम. के तहत डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा मार्गों तथा पुलों का निर्माण (₹ 30 करोड़), बी.आर.टी.कॉरिडोर (₹ 100 करोड़), अ.रा.ब.ट. के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को ऋण (₹ 33 करोड़) थी ।

2.3.4 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 205 बताता है कि यदि किन्हीं सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रदान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा उसका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि उपबंध में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरा अनुसार लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालांकि, 2006-07 से 2012-13 की अवधि के लिए लगभग ₹ 74.82 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी शेष था। अधिक व्यय के बकाया नियमितीकरण की वर्षवार राशि को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.3

पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना शेष है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय की राशि
2006-07	7 (38 उप-शीर्ष)	9.12
2007-08	5 (30 उप-शीर्ष)	11.55
2008-09	5 (29 उप-शीर्ष)	17.35
2009-10	3 (3 उप-शीर्ष)	5.60
2010-11	2 (5 उप-शीर्ष)	3.98
2012-13	1 (11 उप-शीर्ष)	27.22
	कुल	**74.82**

2.3.5 2013-14 के दौरान प्रावधानों से अधिक किए व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना शेष है

वर्ष 2013-14 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि छः अनुदानों में 18 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 5.17 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) का अधिक व्यय हुआ जिसका नियमितीकरण (दिसम्बर 2014) तक नहीं हुआ।

2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के लिए विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की आशंका से आठ उप शीर्षों के अन्तर्गत लगभग ₹ 101.97 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया (**परिशिष्ट 2.4**)। यद्यपि अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था। अनुपूरक अनुदान के उपयोग ना किए जाने के मुख्य कारण रिक्त पदों का न भरा जाना, विदेशी यात्राओं में कमी, दावों की कम प्राप्ति, भंडार मदों की खरीद में कमी, एम.ए.सी.पी. मामलों का तथा बिलों की गैर-निकासी का गैर-अंतिमीकरण था, उपरोक्त मामले बजटिंग में त्रुटिपूर्ण योजनाओं को दर्शा रहे थे।

उपरोक्त मामलों से बजटिंग की त्रुटिपूर्ण योजना का पता चलता है।

2.3.7 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहाँ बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखों तथा पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 57 उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक पाए गए क्योंकि विभाग अपने वर्तमान अनुदान का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके, ₹ 755.14 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 249.13 करोड़ का संचयी अनुपयोग हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में बताया गया है। विभाग ने बचत का कारण रिक्त पदों की गैर-भर्ती, वेतन बकायों की गैर-निकासी, एम.ए.सी.पी. मामलों का गैर-अंतिमीकरण, विदेशी दौरों की कमी, बिलों/दावों की गैर/कम प्राप्ति, भंडारगृह की मदों का गैर-क्रय तथा सामान्य चुनाव 2014 के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता के कारण विभिन्न कार्यक्रमों के गैर-आयोजन को बताया। निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं:

(i) अनुदान संख्या-2 के अंतर्गतः सामान्य प्रशासन- सूचना व प्रचार-जन सम्पर्क निदेशालय के उप-शीर्ष के तहत रिक्त पदों के भरे जाने तथा अधिक दावों/बिलों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में ₹ 0.57 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए, जबकि, वहाँ ₹ 4.69 करोड़ की बचत हुई क्योंकि मीडिया प्लान को अंतिमीकृत नहीं किया जा सका था।

(ii) अनुदान संख्या-3 के अंतर्गतः न्याय का प्रशासन - बिजली प्रभारों में बढ़ोतरी तथा अधिक दावों की प्राप्ति के पूर्वानुमान से दिल्ली न्यायिक अकादमी-निदेश तथा प्रशासन उप-शीर्ष के तहत ₹ 1.05 करोड़ को पुनर्विनियोजित किया गया। जबकि, अकादमी को नए परिसर में स्थांनातरित किए जाने में विलम्ब के कारण ₹ 4.06 करोड़ की बचत की गई थी।

(iii) अनुदान संख्या-6 के अंतर्गतः शिक्षा - पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति उप-शीर्ष के तहत योजना की अच्छी प्रगति के कारण ₹ 10.74 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए, जबकि, स्कूलों द्वारा कम निधि की मांग के कारण ₹16.01 करोड़ की बचत की गई थी।

(iv) अनुदान संख्या-7 के अंतर्गतः चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य - उपशीर्ष डा.एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल के अन्तर्गत अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ने से सृजित पदों हेतु वेतनों पर अधिक व्यय के पूर्वानुमान में ₹ 2.21 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी, जबकि रिक्त पदों पर भर्ती न होने, भण्डारगृह की मदें क्रय न होने के कारण ₹ 3.24 करोड़ की बचत हुई थी।

(v) अनुदान संख्या-10 के अंतर्गतः विकास - उपशीर्ष जल निकास-अनुरक्षण के अंतर्गत अनुरक्षण पर अधिक व्यय के पूर्वानुमान में ₹ 2.00 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया, जबकि मितव्ययी उपायों के कारण ₹ 7.84 करोड़ की बचत हुई।

उपरोक्त निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन, त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

42 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.6**) के सम्बन्ध में ₹ 1,123.55 करोड़ के (मूल प्रावधान के ₹ एक करोड़ तथा 60 *प्रतिशत* से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से 18 उप-शीर्षों में योजना के कार्यान्वित न होने से राशियों की गैर-अदायगी, योजनाओं की धीमी प्रगति तथा पेंशन योजनाओं को अंतिम रूप न देने के कारण राशि के 100 *प्रतिशत* अनुदान ₹ 608.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य शिक्षा, अनुदान संख्या 8: समाज कल्याण तथा अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग- 4210 (ए) (ए) 1 (1) (1) (1) (1) उप-शीर्षों के तहत डिस्पेंसरी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भवन का निर्माण, 5055 डीडी. 1 (2) (2)- बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी तथा 2217 ए. 8 (3) (1) (5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एसपीवी क्रमशः ₹ 60.50 करोड़, ₹ 140.00 करोड़ तथा ₹ 47.00 करोड़ की राशि का पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया। ये अभ्यर्पण कार्य की धीमी प्रगति तथा अनुदान की कम अदायगी के कारण किए गए।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि प्रावधानों के साथ–साथ बचतों जिनको लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना होता है। वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर चार अनुदानों में बचत हुई थी परन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा इसके किसी भाग का अभ्यर्पण नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 2.7)**।

12 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 4,383.02 करोड़ की बचत में से जहाँ प्रत्येक अनुदान विनियोग में ₹ एक करोड़ तथा अधिक की बचत थी, ₹ 1294.95 करोड़ (बचत की राशि का 29.54 *प्रतिशत*) की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट 2.8** में दिए गए है।

2.3.10 अव्यवाहरिक बजट व्यवस्था

सा.वि.नि. का नियम 48(2) यह बताता है कि मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों और अन्य प्रमुख घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संगतीय कारण जैसे मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए। वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सी.एस.एस. और एससीएसपी योजनाओं के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु नौ अनुदानों/विनियोजनों में से 63 उपशीर्षों में ₹ 56.80 करोड़ **(परिशिष्ट 2.9)** के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिसने विधान सभा द्वारा पारित किए गए बजट प्रावधानों के मूल उद्देश्य को निष्फल सिद्ध कर दिया, जो यह संकेत करता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं व योजनाओं

की पर्याप्त बजट पूर्व जाँच करने के पश्चात नहीं बनाये गए थे। निधियों के गैर-उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना और योजनाओं का कार्यान्वयन न होना बताया गया।

2.3.11 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. का नियम 56(3) विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा। इसके विपरीत विभाग द्वारा मार्च 2014 के महीने में 18 उपशीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 30 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के बीच था, जो कि **परिशिष्ट 2.10** में दिखाया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए पिछले तिमाही माह में गैर-अनुपातिक रूप से किए गए अधिक व्यय के कारणों के जवाब सरकार से दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे।

2.4 व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँगों जिनमें क्रेडिट और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिसमें व्यय में कमी के रुप में लेखों को समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियाँ और क्रेडिटों को बजट आकलनों में पृथक रुप से दिखाया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान शून्य पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 70.78 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं ।

2.5 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(क) वर्ष 2013-14 के लिए पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस अर्थात् 31 मार्च 2014 को जारी किए गए थे। जारी किए गए पुनर्विनियोग आदेश स्पष्ट रूप से बजट प्रावधान से ऊपर अधिक व्यय को आच्छादित कर रहे थे ।

मामले को रा.रा.क्षे.दि.स., लेखा नियंत्रक के पास भेजा गया, उन्होंने मामला रा.रा.क्षे.दि.स., वित्त विभाग को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया (दिसम्बर 2014) ।

(ख) वित्तीय अधिकार नियम 1978 के प्रत्यायोजन के नियम 8 के अनुसार, वस्तु शीर्षों जैसे कि 51-मोटर वाहन, 52-मशीनरी तथा उपकरण तथा 53-प्रमुख कार्य वस्तु श्रेणी 6 के (पूंजीगत परिसम्पतियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय) अन्दर आते हैं। जबकि, वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों के लिए माँगों के ब्यौरों के पुनरीक्षण ने दर्शाया कि 68 मामलों (**परिशिष्ट 2.11**) में पूंजीगत व्ययों के स्थान पर राजस्व व्यय में ₹ 269.45 करोड़ की राशि गलत दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के लिए

रा.रा.क्षे.दि.स., लेखा नियंत्रक द्वारा उक्त वास्तविक व्यय के डाटा ने दर्शाया कि दिए गए 68 मामलों में औसतन ₹ 80.38 करोड़ का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 80.38 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय को अधिक बताया गया तथा इसी समतुल्य राशि के अनुसार राजस्व आधिक्यों को कम बताया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर लेखा नियंत्रक ने पुष्टि (दिसम्बर 2014) की, कि उपरोक्त आंकड़े सही हैं तथा लेखों के अनुसार मामला रा.रा.क्षे.दि.स., वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। उनका जवाब दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित था।

(ग) अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (मई 2006) के अनुरूप सभी मामलों में भारत की संचित निधि से किसी निकाय अथवा प्राधिकारी को वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' में प्रावधान की वृद्धि सिर्फ संसद की पूर्व अनुमति से पुनर्विनियोजन द्वारा ही की जा सकती है।

वर्ष 2013-14 के पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 32 मामलों में **(परिशिष्ट-2.12)** मुख्य शीर्ष '31-सहायता अनुदान' में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान की वृद्धि हुई थी।

उपरोक्त पुनर्विनियोजन हेतु विधायिका से पूर्व अनुमति लिए जाने (दिसम्बर 2014) की पुष्टि के लिए लेखा नियंत्रक से निवेदन किया गया जिसका उत्तर दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित था।

2.6 अनुदान सं. 11 के पुनरीक्षण के निष्कर्ष के परिणाम-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग

अनुदान सं.11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा आयोजित की गई (नवंबर 2014) तथा समीक्षा के दौरान पाई गई प्रमुख बातों का विवरण निम्नवत हैः

i. वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों के अंतर्गत बजट प्रावधान किए गए व्यय तथा बचतों की पूरी स्थिति को **तालिका 2.4** में दिया गया हैः

तालिका 2.4

2013-14 के दौरान आबंटित निधियों तथा किए गए व्ययों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
6679.59	9126.48	6064.16	8764.49	615.43	361.99

नोटः 'प्रभारित' विनियोजन तथा संवितरण राशि को निकालते हुए

ii. अनुदान के अन्तर्गत नौ मामलों/उपशीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थीं जो कुल अनुदान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं, जो योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों द्वारा बरती गई लापरवाही दर्शाती है, जैसा कि नीचे वर्णित हैः

(क) बी.आर.टी. कॉरीडोरः रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने शहर में जन परिवहन प्रणाली को सुधारने तथा लोगों द्वारा उसका उपयोग किए जाने की दृष्टि से, दिल्ली में 2004 में एकीकृत व्यापक परिवहन योजना के अंतर्गत बी.आर.टी. योजना को आरम्भ किया। लो.नि.वि. को 114 किमी. शामिल करते हुए सात कॉरीडोर अलग दिए गए तथा डिम्ट्स की 124.40 किमी. शामिल करते हुए बी.आर.टी. कॉरीडोर का पहला फेज़ अम्बेडकर नगर से दिल्ली गेट तक 14.5 किमी. का पूरा किया गया परन्तु अम्बेडकर नगर से मूलचन्द तक (5.8 किमी.) का मार्ग केवल चालू किया गया तथा उसके बाद से पूरी बी.आर.टी. परियोजना पुनरीक्षण के अधीन है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए वास्तविक बजट अनुमान (वा.ब.अ.) में क्रमशः ₹ 200 करोड़, ₹ 35 करोड़ तथा ₹ 100 करोड़ के पूरे प्रावधान एम.एच.5054 बी.बी.11(1)(1)(8) बी.आर.टी. कॉरीडोर के अंतर्गत प्रणाली के कार्यान्वयन न किए जाने के कारण अव्ययित पड़े रहे।

(ख) वॉल्ड सिटी/शाहजहानाबाद के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी.: दिल्ली सरकार द्वारा 2004 में वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास किए जाने की योजना का अनुमोदन किया गया तथा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (शा.पु.वि.नि.) गठित किया गया। योजना के अनुसार पुनर्विकास शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम को वॉल्ड सिटी के विकास कार्यों को करना था। एस.आर.डी.सी. को निधि व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) से उपरोक्त परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात निधियाँ जारी की जानी चाहिए थीं।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए वास्तविक बजट अनुमान (वा.ब.अ.) में लगभग क्रमशः ₹ 30 करोड़, ₹ 40 करोड़ तथा ₹ 47 करोड़ के पूरे प्रावधान एम.एच. 2217 ए.8(3)(1)(5) एसपीवी से अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास हेतु एसपीवी प्रयोग के लिए पड़े रहे।

(ग) शहरी गांवों का विकासः "शहरी गांवों का विकास" योजना स्पष्ट करती है कि गतिविधियाँ/परियोजनाएँ प्राथमिकता से शहरीकृत गाँवों में वर्तमान नागरिक अवसंरचना को उन्नत करने हेतु की जाएँगी। यदि क्रियान्वयक प्राधिकारी भू-स्वामी प्राधिकारी नहीं है तब प्रस्ताव संबंधित विधायक द्वारा भू-स्वामी प्राधिकारी से

अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास संविभाग को प्रस्तुत किया जाना था जिससे निधि निर्गत की जा सके।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि शहरी विकास के लिए उत्तरी डी.एम.सी. को एम.एच. 3054 ए 12(1) (1) (3) सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए वास्तविक बजट अनुमान (वा.ब.अ) में क्रमशः ₹ 250 करोड़, ₹ 120 करोड़ तथा ₹ 70 करोड़ के प्रति, अनुदान के विभाजित किए जाने के कारण वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः 26 *प्रतिशत*, 75 *प्रतिशत* तथा 50 *प्रतिशत* की बचत की गई। बचतें दर्शाती हैं कि शहरी गाँवों के विकास का उद्देश्य असफल हो गया था।

iii. अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान विभिन्न उप-शीर्षों के तहत क्रमशः 14, 32 तथा 29 मामलों में सभी प्रावधान अप्रयुक्त पड़े रहे। अप्रयुक्त प्रावधानों के लिए कारण परियोजनाओं का गैर-कार्यान्वयन, दि.न.नि., दि.वि.प्रा., न.दि.न.पा. इत्यादि को अनुदान जारी न किया जाना था। यह दर्शाता है कि परियोजनाओं तथा योजनाओं की पर्याप्त बजटपूर्व संवीक्षा के बाद भी बजट अनुमान नहीं बनाए गए थे।

iv. 2012-13 से 2013-14 की अवधि हेतु ₹ 31.78 करोड़ का अधिक व्यय नियमित होना शेष था।

v. 14 मामलों में पुनर्विनियोजनों को अनावश्यक रूप से दिखाया गया था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे। जिसके परिणामस्वरूप, 2011-14 के दौरान इन मामलों में ₹ 436.38 करोड़ के प्रति ₹ 297.67 करोड़ का संचय अप्रयुक्त रहा था। इसके अतिरिक्त पाया गया कि 2011-12 के दौरान वाईएपी II के अंतर्गत जे.जे. कॉलोनियों तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को उपशीर्ष 2217 ए. 8(2)(1)(9) सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 8.99 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित हुई तथा संपूर्ण पुनर्विनियोग सहित संपूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रह गया। विभाग ने बचतों के लिए कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होना, रिक्त पदों, विज्ञापन के बिलों के भुगतान का गैर-अंतिमीकरण, संस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति तथा कार्य की धीमी प्रगति बताया। राशियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया के प्रति व्यवहार्यता को इंगित करता है।

vi. विभाग ने 53 उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रावधान बनाए थे। इनमें से केंद्र-प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)/अनुसूचित जाति विशेष कार्यक्रम (एससीएसपी) हेतु 42 मामलों में बचत ₹ 50 करोड़ से अधिक और 11 मामलों में बचत ₹ एक करोड़ से

अधिक थी। बचत हेतु बताए गए कारण योजनाओं में धीमी प्रगति होना, अनुदान जारी न किया जाना, अनुदान का द्विभाजन, इत्यादि थे। इतनी बड़ी बचतें लोक व्यय प्रबंधन की प्रणाली में दोषों को इंगित करती हैं।

2.7 निष्कर्ष

2013-14 के दौरान ₹ 38,716.47 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 34,122.38 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,594.09 करोड़ (11.87 *प्रतिशत*) की बचत हुई। 2006-07 से 2013-14 की अवधि से संबंधित ₹ 79.99 करोड़ का अधिक व्यय संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना था।

आठ मामलों में ₹101.97 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 57 मामलों में निधियों का पुनर्विनियोग जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई असंगत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 249.13 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/प्रावधान अधिक हो गया। आठ अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 1,123.55 करोड़ वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किए गए।

यहाँ अनुदान सं.11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नौ मामलों/उप-शीर्षों मे ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें निरंतर चल रही थी जोकि कुल अनुदान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी जो कुछ योजनाओं जैसे बी.आर.टी. कॉरिडोर का आरम्भ, वॉल्ड सिटी/शाहजहानाबाद के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी. तथा शहरी गाँव के विकास में अवास्तविक बजटिंग, वित्तीय प्रबन्धन में कमी तथा विभाग की लापरवाही को दर्शा रहा था।

2.8 सिफारिशें

सरकार इन उपायों पर विचार कर सकती हैः

- अधिक व्यय के नियमितीकरण हेतु लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामले पर विचार किया जाना।
- बड़ी बचतों और पूरक प्रावधानों से बचने हेतु व्यावहारिक बजट प्रावधान तैयार करना।
- वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता से बचने हेतु वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ – साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का द्योतक है। निम्नलिखित अभ्युक्तियों में, दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों की अनुपालना की चर्चा की गई है:

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

प्रधान वेतन तथा लेखा कार्यालय, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) 2 से 10 और अधिक वर्षों की देरी से प्रस्तुत किए गए जैसा नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति में आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या)	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0-2	761	10398.67	377	4823.39
2.	2-4	385	4371.62	337	2592.84
3.	4-6	319	3025.13	309	3011.14
4.	6-8	1303	2027.37	1294	2025.14
5.	8-10	200	960.34	200	960.34
6.	10 तथा उससे अधिक	2267	5651.17	2267	5651.17
	कुल	**5235**	**26434.30**	**4784**	**19064.02**

उपरोक्त तालिका दिखाती है कि ₹ 26,434.30 करोड़ के 5,235 अनुदान 31 मार्च 2013 तक जारी किए गए । जिसमें से ₹ 19,064.02 करोड़ के 4,784 अनुदान 31 मार्च 2014 तक बकाया थे । ₹ 5,651.17 करोड़ के 2,267 अनुदानों के उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे ।

मुख्य चूककर्ता शहरी विकास विभाग था जिसका बकाया में ₹17,415.91 करोड़ (91.35 *प्रतिशत*) की भागीदारी थी। दिल्ली विद्युत बोर्ड[1] ने शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों का उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किया। आगे, दि.वि.प्रा. के भूमि तथा भवन विभाग ने प्राप्त अनुदानों का उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(अ) कई निकाय/प्राधिकरण शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, विधिक सेवाएँ इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। नौ निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत सुपुर्द की गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाई गई है। नौ[2] निकायों/ प्राधिकरणों में से, केवल चार[3] निकायों/ प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे वर्ष 2012-13 तक प्राप्त हुए।

शेष पाँच निकायों/ प्राधिकरणों के 2012-13 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं हुए। इन बकाया लेखों के विवरण **तालिका 3.2** में दिए गए है।

तालिका 3.2

31 मार्च 2014 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र.सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या	प्राप्त सहायता (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2008-09 से 2012-13	5	1570.12
2	दिल्ली अजा./अजजा./ अ.पि.व./ अल्पसंस्थ्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05 से 2012-13	9	-
3	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.सु.त.सं.)	2009-10 से 2012-13	4	131.98
4	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2012-13	1	-
5	दिल्ली कल्याण समिति	2012-13	1	-

[1] 01.07.02 से दिल्ली विद्युत बोर्ड छः उत्तरवर्ती कंपनियों : डी.पी.सी.एल (नियंत्रण कंपनी), डीटीएल, आईपीजीसीएल, बी.आर.पी.एल- डिस्कॉम, बी.वाई.पी.एल-डिस्कॉम तथा एन.डी.पी.एल- डिस्कॉम में विभाजित हो गया।

[2] दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (vi) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंस्थ्यक तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लि. (viii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ix) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

[3] (i) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (ii) दिल्ली विधिक सेवाएँ आयोग, तथा (iii) गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, तथा (iv) इंद्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2012-13 तक के 20 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली अजा./अजजा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के मामले में 2004-05 से नौ वार्षिक लेखे बकाया थे। नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने 2009-10 से अपने चार वार्षिक लेखे तथा दिल्ली जल बोर्ड ने 2008-09 से पाँच लेखे प्रस्तुत नहीं किए जबकि दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड तथा दिल्ली कल्याण समिति ने वर्ष 2012-13 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए ।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त, तीन निकायों[4] (विद्युत वितरण कंपनियाँ - डिस्कॉम) की भारत के नि.म.ले.प. को जनवरी 2014 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अंतर्गत प्रारंभ से लेखापरीक्षा सौंपी गई थी। इन निकायों की लेखापरीक्षा प्रगति में है (फरवरी 2015)।

3.3 दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2014 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 23.05 लाख की चोरी, सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के तेईस मामलों का पता चला। लम्बित मामलों की आवधिक रुपरेखा तथा प्रत्येक वर्ग में चोरी और दुर्विनियोजन/हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन परिशिष्टों से लिया गया है नीचे **तालिका 3.3** में संक्षेपित की गई है।

तालिका 3.3
दुर्विनियोजन, हानियाँ, चोरी, गबन इत्यादि की रुपरेखा

लम्बित मामलों की आवधिक रुपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0-5	3	12.67	चोरी	11	0.46
5-10	12	09.89			
10-15	6	0.06	दुर्विनियोजन/ सामग्री की हानि	12	22.59
15-20	2	0.03			
20-25	उ.न.	0.40			
कुल	**23**	**23.05**	**कुल बकाया मामले**	**23**	**23.05**

इन 23 मामलों में से, आठ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग तथा एन.सी.सी. में से प्रत्येक के दो मामले हैं।

[4] (i) बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), (ii) बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), तथा (iii) टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान ग्यारह व्यक्तिगत जमा खाते मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन उद्देश्यों के साथ खोले एवं प्रचालित किए गए कि जिन भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको क्षतिपूर्ति तथा भुगतान की राशि, न्यायालयों के आदेशानुसार वादियों के सिविल एवं अपराधिक जमाओं तथा किराए आदि की जमा/निकासी, पेपर बुक मामलों में संवीक्षा प्रभार की जमा, सुरक्षा प्रभार तथा चुनाव याचिकाओं के शुल्क की प्राप्ति की जा सके। 31 मार्च 2014 को इन 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 568.71 करोड़ की राशि बकाया थी ।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियम का नियम 118 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक सार बिल के साथ एक इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक बिलों (सा.आ.) के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक बिलों (वि.आ.बि.) को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। किसी भी स्थिति में कोई सार आकस्मिक बिल इस प्रमाणपत्र के बगैर भुनाया नहीं जा सकता।

दस्तावेजों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 1,179.38 करोड़ के एसी बिलों के प्रति ₹ 323.14 करोड़ (27.40 *प्रतिशत*) के डीसीसी बिल प्राप्त किए गए जिस कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 856.24 करोड़ का एसी बिल बकाया था। वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4

सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसी बिलों की राशि	डीसीसी बिलों की राशि	एसी बिलों की प्रतिशतता में डीसीसी बिल	बकाया एसी बिल
2008-09 **तक**	124.37	12.59	10.12	111.78
2009-10	19.44	1.26	6.48	18.18
2010-11	50.74	7.46	14.70	43.28
2011-12	66.75	10.15	15.21	56.60
2012-13	348.63	134.15	38.48	214.48
2013-14	569.45	157.53	27.66	411.92
कुल	**1179.38**	**323.14**	**27.40**	**856.24**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एसी बिल पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे । प्रधान लेखा कार्यालय रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (दिसंबर 2014) कि एसी

बिलों का मुख्य भाग स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के अस्पताल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, संभागीय आयुक्त तथा शिक्षा विभाग से बकाया थे । इस विलंब का कारण विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से मशीनों तथा उपकरणों की खरीद के लिए एल सी लेखों का खोला जाना , 'अन्नश्री योजना' तथा 'कैरोसिन मुक्त दिल्ली' योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिम, विभागीय कार्यों को आई.एंड एफ.सी.डी., डीएसआईआईडीसी तथा डीटीटीडीसी जैसी एजेंसियों द्वारा निष्पादित कराया जाना तथा विभिन्न 'विधार्थी कल्याण योजनाओं' के अंतर्गत दिया गया अग्रिम था ।

एल सी खोले जाने के मुद्दे पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के प्र. लेखा कार्यालय ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प की राज्य वित्त पर प्रतिवेदन में ऐसे ही समान अभ्युक्ति के प्रत्युतर में कहा कि बिलों के समायोजन की समयावधि के संबंध में कोई निश्चित वचनबद्धता नहीं कर सकते। उपरोक्त नियम के संदर्भ में विभाग का बिलों के समायोजन की समयावधि के संबंध में निश्चित वचनबद्धता नहीं किया जाना अस्वीकार्य है।

विभिन्न विभागों द्वारा डीसीसी बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियाँ उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए ये आहरित किए गए थे तथा निधियों के अस्थायी दुरूपयोग की संभावना को विस्तृत आकस्मिक बिलों के अभाव में दरकिनार नहीं किया जा सकता।

3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा इस प्रकार के लेन-देन "संघीय सरकार के खाते" के अन्तर्गत किए जाते हैं। ऐसे सभी लेन-देनों का अन्त में निवारण या तो नकद रुप में वसूली के भुगतान अथवा बुक समायोजन द्वारा समाशोधित किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें उचंत शीर्षों में दर्ज किया जाता है जिनका अल्प अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो। यहाँ, इस प्रकार, इन शेषों को तेजी से समाशोधित करने की तथा उन्हें उचित लेखा शीर्षों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेने-देनों की जांच से पता चला कि वर्ष 31 मार्च 2014 को ₹ 1,151.65 करोड़ की बड़ी राशि उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया थी जिन्हें **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5
उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निवल जोड़(+)/निपटान(-)	अन्त शेष
2009-10	631.52	(-)530.50	101.02
2010-11	101.02	(+)57.79	158.81
2011-12	158.81	(+)56.81	215.62
2012-13	215.62	(+)58.16	273.78
2013-14	273.78	(+)877.87	1151.65

31 मार्च 2014 को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता (101)	60.76 (डेबिट)
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ले.)(107)	188.86 (डेबिट)
भविष्य निधि उचंत लेखा (113)	0.09 (डेबिट)
सामग्री क्रय उचंत लेखा(सा.क्र.उ.ले.) (129)	14.76 (क्रेडिट)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा (108)	916.80 (डेबिट)
उचंत लेखा (सिविल)(102)	0.10 (क्रेडिट)
कुल	**1151.65 (डेबिट)**

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि "नकद परिशोधन उचंत लेखों" (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा सा.क्र.उ.ले. एवं न.प.उ.ले. के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लो.नि.वि. के मुख्य अभियंता के साथ मामला उठाया गया। यह कहा गया कि लो.नि.वि. द्वारा दिल्ली पुलिस के कार्यों का निष्पादन मुख्य शीर्ष – 8658 न.प.उ.ले. के प्रचालन द्वारा किए जाने के तरीके को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जारी नहीं रखा गया तथा अब कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित कराया गया। सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाहय दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के अनुदेश दिए गए थे । इससे आगे पुनः उत्तर दिया गया कि जनवरी 2009 से कोर बैंकिंग प्रणाली के आरंभ होने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत में अधिक मात्रा में शेष संचित हुए थे। शेषों के परिसमापन का मामला प्रबलता के साथ विभाग ने भारतीय स्टैट बैंक के समक्ष उठाया है।

3.7 निष्कर्ष

9 निकायों/प्राधिकरणों में से पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 2012-13 तक बकाया 20 वार्षिक लेखे मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं हुए थे। विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने में काफी देर हुई जिसके कारण अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 4,784 बकाया उ.प्र. में से ₹ 5,651.17 करोड़ के 2,267 (47.39 *प्रतिशत*) उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से

लंबित थे। राज्य सरकार के विभागों ने दुरुपयोग, हानि, चोरी तथा गबन इत्यादि के 23 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2014 तक ₹ 23.05 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी। इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई शेष थी। 31 मार्च 2014 तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,151.65 करोड़ के बड़े अधिशेष थे जिनका तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों में वर्गीकरण किया जाना आवश्यक था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है :

- स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाने के विषय में;
- सरकारी विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. की समयानुसार प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पूर्व अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए ;
- दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के मामलों में कार्रवाई हेतु समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए, तथा
- उचंत शीर्ष का तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा किया जाना।

प्रतिवेदन में सम्मिलित उपरोक्त बिन्दुओं को सरकार को जारी किया गया (जनवरी 2015), उत्तर प्रतीक्षित हैं।

नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून 2015

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

राज्य की रुपरेखा (दिल्ली)				
ए.	सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े
1	क्षेत्रफल			1483 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या			
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार		₹ 1.39 करोड़
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार		₹ 1.68 करोड़
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92* *प्रतिशत*)			9.91** *प्रतिशत*
5.	ए.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)		81.67 *प्रतिशत*
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 *प्रतिशत*)		86.34 *प्रतिशत*
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** =40 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)			23.94**
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत =65.8 वर्ष)			उ.न.
8.	गिनी गुणांक****			
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)		0.26
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)		0.33
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-2014 वर्तमान मूल्य पर			₹ 404575.65 करोड़**
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2004-05 से 2013-14 तक)		दिल्ली	
			सामान्य वर्ग के राज्य	14.88 *प्रतिशत*
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2004-05 से 2013-2014 तक)		दिल्ली	16.76 *प्रतिशत*
			सामान्य वर्ग के राज्य	15.49

	बी	वित्तीय आंकड़े		
क्र.सं.		विवरण	आँकड़े (*प्रतिशत* में)	
1	मि.वा.वृ.द्ध		2004-05 से 2012-13	2004-05 से 2013-14
			सामान्य श्रेणी राज्य+	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति	16.93	14.06
	बी.	स्वयं का कर राजस्व	16.42	15.46
	सी.	गैर कर राजस्व	12.49	(-) 3.65
	डी.	कुल व्यय	15.37	13.38
	ई.	पूंजीगत व्यय	17.01	14.19
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.44	15.34
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.50	15.90

सामान्य आंकड़ो के स्रोतः

* प्रेस नोट जुलाई 2013 योजना आयोग तेंदुलकर प्रविधि से बीपीएल 2011-12

** आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

***नवजात शिशु-मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन सितंबर 2011),

****गिनी-गुणांक (2009-10 के लिए योजना आयोग के आँकड़ें),

***** मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

वित्तीय आँकड़ें राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं।

+ गोवा, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर।

गिनी-गुणांक जनसंख्या में आय असमानता का एक मानक है। मूल्य दर शून्य से एक है, जहाँ शून्य का संदर्भ पूर्ण समानता से है और एक का संदर्भ पूर्ण असमानता है ।

परिशिष्ट 1.2
(पैराग्राफ 1.1 को देखें)
पार्ट एः सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट

सरकारी लेखों की सरंचनाः राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है- (i) समेकित निधि, (ii)आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे

भाग Iः समेकित निधिः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग IIः आकस्मिक निधिः राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रुप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जबकि राशि की प्रतिपूर्ति आकस्मिक निधि के अग्रिमों से की जाती है।

भाग IIIः लोक लेखाः कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेपों, उचंतों, प्रेषणों इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जोकि संचित निधि का भाग नहीं होते है, को संविधान की धारा 266(2) के अंतर्गत निर्मित लोक लेखे में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका में चर्चा नहीं की जाती है।

पार्ट बीः वित्तीय लेखों की स्थिति

विवरणी	स्थिति
विवरणी सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय
विवरणी सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों के अलावा) अन्य व्यय तथा पूंजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी गई शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है :

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ)2]*100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 - ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत खर्चों को सम्मिलित न करते हुए

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पार्ट ए – राजस्व					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69
(i) कर राजस्व	13447.86	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69
कृषि आय पर कर					
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10126.01	12068.62	13750.95	15803.69	17925.71
राज्य उत्पाद शुल्क	1643.56	2027.09	2533.72	2869.74	3151.63
वाहनों पर शुल्क	462.65	707.55	1049.19	1240.18	1409.28
स्टॉम्प व पंजीकरण शुल्क	929.97	1355.75	2240.25	3098.06	2969.07
भूमि राजस्व	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-		-	
अन्य कर	285.64	318.71	397.54	419.84	463.00
(ii) गैर कर राजस्व	3467.40	4188.95	460.87	626.93	659.14
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-		-	
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	3536.08	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ					
3.ऋणों व अग्रिमों की वसूली	318.15	436.77	376.25	724.90	802.92
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	20769.49	25460.87	22769.42	26285.87	28783.60
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	1769.00	4388.94	556.08	922.41	4162.89
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1769.00	4388.94	556.08	922.41	4162.89
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49
7.आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8.सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13900.88	14381.74	17964.86	20659.36	22366.52
योजनागत	4742.76	4891.59	6440.86	6498.72	7462.28
गैर योजनागत	9158.12	9490.15	11524.00	14160.64	14904.24
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	3629.67	3728.95	4347.23	5738.57	5597.48

सामाजिक सेवाएँ	8103.58	8718.80	10717.11	11737.43	12314.54
आर्थिक सेवाएँ	1650.28	1392.46	2172.22	2350.82	3650.01
सहायता अनुदान और योगदान	517.35	541.53	728.29	832.53	804.50
11.पूंजीगत व्यय	4717.27	3984.80	4004.27	4176.63	4707.42
योजनागत	4713.62	3981.32	3999.96	4171.74	4702.93
गैर योजनागत	3.65	3.48	4.31	4.90	4.49
सामान्य सेवाएँ	356.13	264.55	188.82	196.88	265.48
सामाजिक सेवाएँ	636.94	536.74	578.23	1100.95	1542.54
आर्थिक सेवाएँ	3724.20	3183.51	3237.22	2878.81	2899.41
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	5701.30	6364.73	3345.42	3734.83	5652.37
13. कुल (10+11+12)	24319.45	24731.27	25314.55	28570.82	32726.31
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	606.47	793.06	1087.88	1287.99	1325.29
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	606.47	793.06	1087.88	1287.99	1325.29
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व में घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)6550.46	(+) 10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61	(+)5614.17
21.राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	(-)3549.96	(+) 729.60	(-) 2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71
22.प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1077.03	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93	(-)1118.42
पार्ट डी. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2472.93	2579.52	2917.26	2862.88	2824.29
24.स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	9988.68	-	-	-	-
25. पूर्वोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)				-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वापाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)					
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज					
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	217618.58	252752.79	296956.88	348221.16	404575.65
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	26544.20	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32

29. बकाया गारण्टियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत मे)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I **संसाधन गतिशीलता**					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	6.18	6.52	6.73	6.73	6.41
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.59	1.66	0.16	0.18	0.16
II **व्यय प्रबंधन**					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	11.18	9.78	8.52	8.20	8.09
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	118.92	98.83	113.05	111.78	116.96
राजस्व व्यय/कुल व्यय	57.16	58.15	70.97	72.31	68.34
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	42.54	43.41	51.88	50.23	46.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30.52	27.88	27.48	22.58	32.26
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	19.40	16.11	15.82	14.62	14.38
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	17.93	15.04	15.07	13.93	13.57
III **राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन**					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+) 3.01	(+) 4.21	(+)1.49	(+) 1.41	(+) 1.39
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(-) 1.63	(+) 0.29	(-) 0.86	(-) 0.66	(-)0.97
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(-) 0.49	(+) 1.31	(+) 0.13	(+) 0.17	(-)0.28
IV **राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन**					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	12.20	11.92	9.97	8.40	7.93
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	129.79	120.44	132.22	114.40	114.65
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 68.00	(+) 123.67	(+) 13.61	(+) 24.49	(-)54.87
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ					
V **अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक**					
निवेश पर वापसी	0.38	0.37	0.23	0.16	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	9670.26	13515.26	9887.38	10231.39	12000.50
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	95.22	90.94	94.79	97.88	99.14

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ

	2009-10	**2010-11(आर)**	**2011-12(पी)**	**2012-13(क्यू)**	**2013-14(ए)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	217618.58	252752.79	296956.88	348221.16	404575.65
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	14.82	16.14	17.49	17.26	16.18

स्रोतः आर्थिक एवं सांस्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

(आर)- संशोधित, (पी)- अंतरिम, (क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

परिशिष्ट 1.5

पार्ट ए : वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2012-13		2013-14	2012-13		2013-14		
					गैर योजनागत	योजनागत	कुल
25560.97	I. **राजस्व प्राप्ति**	**27980.69**	20659.36	I. **राजस्व व्यय**	14904.24	7462.28	22366.52
23431.52	कर राजस्व	25918.69	**5738.57**	**सामान्य सेवाएं**	**5445.57**	**151.91**	**5597.48**
			11737.43	**सामाजिक सेवाएं**	**5999.01**	**6315.53**	**12314.54**
626.93	-गैर-कर राजस्व	659.14	5092.80	-शिक्षा, स्वेल-कूद, कला एवं संस्कृति	4115.51	1539.19	5654.70
			2508.33	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1355.54	1269.05	2624.59
-	-संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2380.88	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	258.20	1804.51	2062.71
			14.04	-सूचना एवं प्रसारण	28.54	0	28.54
333.57	-गैर-योजनागत अनुदान	326.91	205.41	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	13.59	218.35	231.94
919.73	-राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	717.81	80.38	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	79.24	12.89	92.13
			1448.13	-समाज कल्याण एवं पोषण	140.56	1471.53	1612.09
249.21	-केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	358.14	7.46	-अन्य	7.82	0	7.82
			2350.82	**आर्थिक सेवाएं-**	**2655.17**	**994.84**	**3650.01**
			78.42	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	76.62	10.25	86.87
			8.14	-ग्रामीण विकास	7.21	1.92	9.13
				-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
			108.51	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	112.20	0.29	112.49
			691.38	-ऊर्जा	1064.93	4.41	1069.34
			27.14	-उद्योग एवं खनिज	9.38	21.09	30.47
			1219.78	-परिवहन	1273.85	796.78	2070.63
			32.39	-विज्ञान, प्रौद्यौगिकी एवं पर्यावरण	1.26	20.17	21.43
			185.06	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	109.72	139.93	249.65
			832.53	**सहायता अनुदान एवं योगदान**	**804.50**	**-**	**804.50**
			20659.36	**कुल**	**14904.24**	**7462.28**	**22366.52**
	II. **राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना**			II. **राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना**	**-**	**-**	**5614.17**
25560.96	**कुल**	**27980.69**		**कुल**			**27980.69**

खण्ड-ब : पूँजीगत एवं अन्य							
7713.20	**III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष**	**4636.28**		**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट**			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. **पूँजीगत रूपरेखा**			
			196.88	**सामान्य सेवाएं-**	**0**	**265.48**	**265.48**
			1100.95	**सामाजिक सेवाएं-**	**0**	**1542.54**	**1542.54**
			377.94	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	514.40	514.40
			225.82	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	352.55	352.55
			400.58	-जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	559.98	559.98
			-	-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			37.73	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	46.61	46.61
	खण्ड-ब:अन्य (निष्कर्ष)						
			29.54	-समाज कल्याण एवं पोषण	0	36.04	36.04
			29.35	-अन्य	0	32.96	32.96
			2878.81	**आर्थिक सेवाएं-**	**4.50**	**2894.91**	**2899.41**
			25.03	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0	14.60	14.60
			206.25	-ग्रामीण विकास	0	175.04	175.04
			-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			78.22	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.50	69.71	74.21
			556.39	-ऊर्जा	0	21.34	21.34
			50.39	-उद्योग एवं खनिज	0	50.00	50.00
			1961.14	-परिवहन	0	2561.28	2561.28
			0.47	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.49	0.49
			0.92	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	2.45	2.45
			4176.63	**कुल**	**4.50**	**4702.93**	**4707.43**
724.90	**V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-**	**802.91**	**3734.83**	**V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-**	-	-	**5652.37**
172.95	- पॉवर परियोजनाओं से		700.00	- पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	3628.39
2.10	-सरकारी सेवकों से		0.79	-सरकारी सेवकों को	-	-	0.74
549.85	-अन्यों से		3034.04	-अन्यों का	-	-	2023.24
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया			
			1287.99	VII. **लोक ऋण की पुनः अदायगी**	**-**	**-**	**1325.29**
922.41	VII. **लोक ऋण प्राप्ति-**	**4162.89**		**-बाह्य ऋण**	**-**	**-**	**-**
	- बाह्य ऋण	-		-पुर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
	-पुर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-		-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	1287.99	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	**1325.29**

	-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		VIII. **आकस्मिक निधि से विनियोजन**			-
922.41	-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4162.89		IX. **आकस्मिक निधि से व्यय**			-
	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-		X. **लोक खाता संवितरण**			-
	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ			-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-		-आरक्षित निधियाँ			-
	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-		-उचंत एवं विविध			-
	-आरक्षित निधियाँ	-		-प्रेषण			-
	-उचंत एवं विविध	-		-जमा एवं अग्रिम			-
	-प्रेषण	**-**	**1985.75**	XI **अंत में नकद शेष**-			**880.65**
	-जमा एवं अग्रिम	-		-खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-		-रिजर्व बैंक में जमा			-
		-		-स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
		-		-नकद शेष निवेश			
31844.56	**कुल**	**34932.25**	**31844.56**	**कुल**	**-**	**-**	**34932.25**

परिशिष्ट 1.5 (जारी)

(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2014 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2013 को	**देयताएँ**		**31-03-2014 को**
29242.71	**केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम**		**32080.32**
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
29242.70	गैर-योजनागत ऋण		32080.30
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	-
59401.53	***राजस्व अधिशेष***		**65015.70**
1587.95	**सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष**		**1587.95**
3356.46	**1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष**		**3356.46**
93588.65	**कुल**		**102040.43**
	परिसम्पत्तियाँ		
40715.08	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**45422.50**
16388.15	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		17060.35
24326.93	अन्य पूंजीगत परिव्यय		28362.15
50887.82	***ऋण और अग्रिम***		**55737.28**
6566.45	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		10157.55
29564.40	अन्य विकास ऋण		30595.59
14756.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14984.14
1985.75	**संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष**		**880.65**
93588.65	**कुल**		**102040.43**

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणामस्वरुप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा मूल्यह्रास या स्टॉक आँकड़ों में परिवर्तन जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं । सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2013 तथा 31 मार्च 2014 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 40,715.08 करोड़ तथा ₹ 45,422.50 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे । इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 के लिए क्रमशः ₹ 50,887.82 करोड़ तथा ₹ 55,737.28 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षो के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रुप से नहीं दर्शाए गए हैं ।

परिशिष्ट 2.1

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची

(पैराग्राफ 2.3.1. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	बचतों के कारण
	राजस्व-दत्तमत							
	अनुदान सं. 3- न्याय का प्रशासन							
1	2202 ए.1(2)(5)- सरकारी सेकेंडरी विद्यालय	1059.15	0.00	1059.15	958.06	101.09	9.54	पदों एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
2	2202 ए.1(2)(8)(1)- अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1867.14	40.00	1907.14	1785.42	121.72	6.38	पदों, कम दावों की प्राप्ति, भंडार मदों की कम खरीद, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर-समाशोधन
	अनुदान सं. 07- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य							
3	2210 ए.1(1)(4)(6)- दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	110.00	0.00	110.00	27.50	82.50	75.00	अनुदान का द्विभाजन
4	2210 ओ.1(1) (1)(1)- राजीव गाँधी सुपर स्पैशेलिटि अस्पताल	150.00	0.00	150.00	6.88	143.12	95.41	अस्पताल का अनुदानग्राही संस्थान में परिवर्तन
	अनुदान सं. 9- उद्योग							
5	3456 डी.1(4)(7)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अन्नश्री योजना	135.00	0.00	135.00	64.73	70.27	52.05	उपयुक्त, लाभार्थियों की कम संख्या क्योंकि बहुत से लाभार्थियों ने नई प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना को महत्व दिया
	अनुदान सं. 10- विकास							
6	2030 ई.2(3)(1)(2)(5)-	350.00	0.00	350.00	279.58	70.42	20.12	कम कर जारी करना तथा स्थानान्तरण शुल्क

	उत्तरी दिल्ली नगरपालिका निगम							के दावे की गैर-प्राप्ति
7	2030 ई.2(3)(1)(2)(6)- दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम	600.00	0.00	600.00	484.00	116.00	19.33	कम कर जारी करना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग							
8	2215 ए.6(1)(1)(6)- असंसाधित जल के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	150.00	0.00	150.00	37.50	112.50	75.00	अनुदान का द्विभाजन
9	2215ए.6(2)(1)(5)- जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अंतर्गत प्रमुख नालों में अवरोधित सीवर के लिए दि.ज.बो. को स.अ.	257.80	0.01	257.81	191.20	66.61	25.84	अनुदान जारी नहीं किया जाना
10	2216 ए.7(1)(1)(3)- कमजोर वर्गों के घरों के निर्माण के लिए डी.एस.आई.डी.सी. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम)	196.88	0.00	196.88	76.01	120.87	61.39	डी एस आई डी सी द्वारा कम व्यय के कारण कम अनुदान जारी किया जाना।
11	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरपालिका सुधारों के लिए सहायता अनुदान	325.16	0.00	325.16	0.00	325.16	100.00	नगरपालिकाओं द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान 13 — पेंशन							
12	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ- सरकारी योगदान	152.50	0.00	152.50	0.00	152.50	100.00	पेंशन योजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण समस्त प्रावधानों का पूर्णतः अप्रयुक्त रह जाना
	राजस्व प्रभारित							
	लोकऋण							
13	2049 ए.1(1)(1)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज	3025.00	0.00	3025.00	2824.29	200.71	6.64	भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी किया जाना

	पूँजीगत–दत्तमत							
	अनुदान सं. 6- शिक्षा							
14	4202 एए.1(1)(1)(2)- सामान्य शिक्षा-विद्यालय भवनों के कार्यों की आउटसोर्सिंग	80.00	0.00	80.00	19.74	60.26	75.33	डीएसआईसीडीसी द्वारा लो.नि.वि. को कार्य स्थानान्तरित किए जाने के कारण कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान 7–चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य							
15	4210 एए.1(1)(1)(1)(1)- औषद्यालय/ स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन का निर्माण	65.00	0.00	65.00	0.81	64.19	98.75	कार्य की धीमी प्रगति तथा पूँजीगत शीर्ष में असावधानी से रखे गए राजस्व व्यय के लिए प्रावधान
	अनुदान 08– सामाजिक कल्याण							
16	7055 डीडी.4(1)(4)- केंद्रीय करों के पुनःभुगतान के लिए एम आर टी एस को ऋण	250.00	0.00	250.00	170.00	80.00	32.00	कम ऋण जारी होना.
17	7055 डीडी.4(1)(5)- बिक्री करों के पुनःभुगतान के लिए एम आर टी एस को ऋण	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	100.00	ऋण जारी नहीं किए जाने के कारण संपूर्ण प्रावधान पूर्णतः अव्ययित थे
	अनुदान 09– उद्योग							
18	4851 एए.1(1)(1)- उन्नयन, सुधार इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लैक्स को नागरिक सुविधाएं सौंपा जाना	150.00	0.00	150.00	50.00	100.00	66.67	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 10– विकास							
19	4059 ईई.2(1)(1)(1)- कार्यालय भवन - निर्माण - उपायुक्त कार्यालय	115.00	0.00	115.00	39.96	75.04	65.25	कार्य की धीमी प्रगति, प्रस्तावित निर्माण को अंतिम रूप दिया जाना
	अनुदान सं. 11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग							
20	7615 एए.5(1)(5)- अर्थोपाय सहायता के लिए उत्तरी दिल्ली	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	50.00	कम ऋण जारी किया जाना

	नगरपालिका निगम को ऋण							
21	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(1)- अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	180.00	0.00	180.00	107.00	73.00	40.56	कार्य की धीमी प्रगति
22	5054 बीबी.11(1)(1)(5)- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	220.00	0.00	220.00	99.89	120.11	54.60	कार्य की धीमी प्रगति
23	5054 बीबी.11(1)(1)(8)- बी.आर.टी. कॉरीडोर	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	योजना के गैर-क्रियान्वयन के कारण समस्त प्रावधान अव्ययित पड़े रहे
24	6801 ईई.1(3)(3)(1)- प्रगति पॉवर परियोजना-III बवाना को ऋण	245.00	0.00	245.00	100.00	145.00	59.18	कम ऋण जारी करना
	कुल	**10358.63**	**40.01**	**10398.64**	**7572.57**	**2826.07**		

परिशिष्ट 2.2
विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे
(प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.3. को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	कारण
	राजस्व–दत्तमत				
	अनुदान सं. 4– वित्त				
1	3454-डी.1(1)(2)(5) सांख्यिकी प्रणाली का सुधार	300.00	0.00	300.00	निधियों का जारी न किया जाना
2	2040 एफ.1(3)(7)- मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली का क्रियान्वयन	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	अनुदान सं. 6– शिक्षा				
3	2202 ए.1(2)(8)(29)- सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के अंतर्गत राज्य अंश	1000.00	0.00	1000.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
4	2203 बी.1 (5) (18)- दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान को सहायता अनुदान	300.00	0.00	300.00	अनुदान का द्विभाजन
5	2230-बी.2 (1) (3) (4)- दिल्ली कौशल मिशन सोसाईटी को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
6	2205-एफ.2 (1) (21)- दिल्ली बाल एकेड़मी को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान की गैर-प्राप्ति
	अनुदान सं. 7– चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
7	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	1700.00	0.00	1700.00	ईएसआईसी से माँग की गैर-प्राप्ति
8	2210 ए.1(2)(1)(1)(2)- नए मेड़िकल, कॉलेज, मेड़िकल यूनिवर्सिटी एवं पैरा-मेड़िकल संस्थानों की स्थापना	2000.00	0.00	2000.00	योजना की धीमी प्रगति
9	2210 ए.1(3)(2)(14)- दिल्ली तपेदिक उन्मूलन समिति (डीटीयूएस) को सहायता अनुदान	300.00	0.00	300.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
10	2210 ए.1(4)(1)(3)- राज्य रूग्णता सहायता फंड के लिए दिल्ली सरकार को योगदान (दिल्ली आरोग्य निधि)	50.00	0.00	50.00	योजना की धीमी प्रगति
11	2210 आर.1(1)(1)(1)- सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर	1955.00	0.00	1955.00	लोक नायक अस्पताल में विलय किया जाना
	अनुदान सं. 8– सामाजिक कल्याण				
12	3435 डी.5(1)(1)(3)-डीएमआरसी फीडर बस सेवाएँ (जेएनएनयूआरएम)	684.00	0.00	684.00	उत्तर प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 9– उद्योग				

13	2851 ए.2(3)(6)- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान को जारी नहीं किया जाना
14	2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास	250.00	0.00	250.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
15	2230 सी.2(1)(6)(1)(1)- दिल्ली स्वस्थ कुटुम्ब सोसाईटी को सहायता अनुदान	400.00	0.00	400.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
16	3456 डी. 1(4)(2)- घरेलु एलपीजी के उपभोक्ताओ को रियायत	200.00	0.00	200.00	कम ऋण जारी किया जाना
17	3456 डी. 1(4)(5)- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए बाजार मध्यस्थता का प्रावधान	250.00	0.00	250.00	ऋण जारी न किए जाने के कारण सभी प्रावधान सम्पूर्ण रूप से अप्रयुक्त पड़े रहे।
	अनुदान सं. 10– विकास				
18	2053 पी.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड़ के लिए नागरिक देखभाल	500.00	0.00	500.00	कार्य की धीमी प्रगति
19	2053 क्यू.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड़ के लिए नागरिक देखभाल	500.00	0.00	500.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
20	2401 आर.6(2)(2)- शहरी समूह के लिए वेजिटेबल इंनीशिएटिव (वीआईयूसी)	500.00	0.00	500.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
	अनुदान सं. 11– शहरी विकास एवं लो.नि.वि.				
21	2216 ए.7(1)(1) (6)- राजीव आवास योजना (डीयूएसआईबी)	875.00	0.00	875.00	अनुदान का द्विभाजन
22	2216 ए.7(1)(1)(7)-कमजोर वर्गों के लिए घर बनाए जाने हेतु एनडीएमसी को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	650.00	0.00	650.00	कम अनुदान जारी किया जाना
23	2217 ए.8(1)(1)(7)- विद्यमान आधारभूत संरचनाओं के लिए डीयूएसआईबी को स.अ.	500.00	0.00	500.00	अनुदान का द्विभाजन
24	2217 ए.8(2)(1)(7)(3)- सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए पूर्वी दिल्ली नगर पालिका निगम को अनुदान	1200.00	0.00	1200.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
25	2217 ए.8(2)(1)(17)(2)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं हेतु दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम को अनुदान	4500.00	0.00	4500.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
26	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरपालिका सुधारों के लिए सहायता अनुदान	32516.19	0.00	32516.19	नगरपालिकाओं द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान का द्विभाजन
27	2217 ए.8(2)(1)(28)- कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान	4500.00	0.00	4500.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
28	2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एसपीवी	4700.00	0.00	4700.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन

29	3054 ए.12(1)(1)(8)-शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगरपालिका निगम को स.अ.-सी.आर.एफ योजना	500.00	0.00	500.00	अनुदान का द्विभाजन
30	3054 ए.12(1)(1)(9)- जेएनएनयूआरएम के लिए उत्तर दिल्ली नगरपालिका निगम	1000.00	0.00	1000.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
	अनुदान सं. 13- पेंशन				
31	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सरकारी योगदान	15250.00	0.00	15250.00	पेंशन योजना का गैर-क्रियान्वयन
	राजस्व-प्रभारित				
	अनुदान सं. 6- शिक्षा				
32	2205 ई.1(1)(1)(1)- आर्ट कॉलेज-मुख्यालय स्था.	124.00	0.00	124.00	मामले का गैर-अन्तिमकरण
	पूंजीगत-दत्तमत				
	अनुदान सं. 4- वित्त				
33	4059 एफएफ.1(1)(1)(1)-निर्माण ट्रेड एंड टैक्स कर एनेक्सीज बिल्डिंग	2600.00	0.00	2600.00	योजना के गैर-क्रियान्वयन के कारण समस्त प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहे
	अनुदान सं. 6- शिक्षा				
34	6202 बीबी.2(1)(1)(1)- इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली	1000.00	0.00	1000.00	कारण प्रतीक्षित
35	4202 जेजे.1(1)(1) (1)-इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन के लिए भूमि का आबंटन तथा निर्माण	1500.00	0.00	1500.00	कार्य की धीमी प्रगति
36	4202 जेजे.1(1)(1) (2)-अम्बेड़कर यूनिवर्सिटी की स्थापना	1100.00	0.00	1100.00	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण				
37	6225 सीसी.2(3)(1)(3)-अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण	3000.00	0.00	3000.00	ऋण जारी नहीं किया जाना
38	5055 डीडी.1(1)(3)-एक नए निरीक्षण पिट के लिए भूमि की खरीद	300.00	0.00	300.00	प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
39	5055 डीडी.1(2)(2)-बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को आंशिक पूंजी	14000.00	0.00	14000.00	इक्विटी जारी नहीं किया जाना
40	7055 डीडी.4(1)(5)- बिक्री करों के पुनः अदायगी के लिए एमआरटीएस को ऋण	7500.00	0.00	7500.00	ऋण जारी नहीं किया जाना
41	7055 डीडी.4(2)(3)-आईएसबीटी के लिए डीटीटीडीसी को ऋण	3300.00	0.00	3300.00	कम ऋण जारी किया जाना
	अनुदान सं. 10- विकास				
42	4402 बीबी.2(1)(1)-क्षार प्रभावित भूमि का मृदा परीक्षण एवं मृदा सुधार	50.00	0.00	50.00	लो.नि.वि. द्वारा कार्य की धीमी प्रगति

43	4425 सीसी.3(1)(1)-दिल्ली सहकारी गृह वित्त निगम के लिए अंश पूंजी	3000.00	0.00	3000.00	अंश पूंजी जारी नहीं किया जाना
44	5425 आरआर.1(1)(4)- एकीकृत कचरा प्रबंधन	100.00	0.00	100.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
45	4217 एए.1(2)(1)(1)-रा.रा.क्षे. विकास बोर्ड को अंश पूंजी का वितरण	500.00	0.00	500.00	अंश पूंजी का जारी नहीं किया जाना
46	6215 एए. 2(1)(1)(11)- दि.ज.बो. को चंद्रावल डब्ल्यू टीपी के लिए ऋण	3500.00	0.00	3500.00	कम ऋण जारी किया जाना
47	7055 एए. 9(1)(1)(2)- जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए उत्तरी दिल्ली नगरपालिका को ऋण	1000.00	0.00	1000.00	ऋण का जारी नहीं किया जाना
48	4210 बीबी. 5(1)(1)(1)(30)-स्वास्थ्य सह-मातृत्व केंद्र कांतिनगर	50.00	0.00	50.00	कारण प्रतीक्षित
49	4210 बीबी. 5(1)(1)(1)(31)-अरूणा आसफ अली अस्पताल	50.00	0.00	50.00	कारण प्रतीक्षित
50	4250 बीबी. 8(2) (3)-नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं श्रमिक कल्याण केंद्र का निर्माण/पुनरूद्धार	100.00	0.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
51	5054 बीबी.11(1)(1)(6)- जेएनएनयुआरएम के अंतर्गत डीटीटीडीसी द्वारा सड़कों और पुलो का निर्माण	3000.00	0.00	3000.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
52	5054 बीबी.11(1)(1)(8)- बीआरटी कॉरीडोर	10000.00	0.00	10000.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे
53	5475 बीबी.14(1)(1)- भार तथा माप के लिए भवनों का निर्माण	55.00	0.00	55.00	जवाब भेजा नहीं गया
54	4225 बीबी.15(1)(1)(1)- भास्परवाल गाँव में अ.जा. के लिए शिक्षा हब के निर्माण के लिए	900.00	0.00	900.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
55	4801 ईई.2(1)(1)(8)- दिल्ली नवीकरणीय ऊर्जा पॉवर कंपनी-डीआरईपीसी.	450.00	0.00	450.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
56	4801 ईई.2(1)(1)(10)-कँझावाला, में आईएल तथा आरपीएच में नई पॉवर परियोजनाएँ	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	कुल	**134659.2**	**0.00**	**134659.2**	

परिशिष्ट 2.3
वर्ष 2013-14 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है
(पैराग्राफ 2.3.5. के संदर्भ में)

(₹लाख में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	अधिक राशि
	अनुदान सं. 3– प्रशासनिक न्याय	
1	2015 (एफ).1(1)(2)- वोटरों को पहचानपत्र जारी किया जाना	182.39
	अनुदान सं. 6– शिक्षा	0.00
2	2202 ए.1(2)(8)(9)- विद्यालयों के पुस्तकालय का सुधार	3.78
3	2202 ए.1(4)(4)(5)- अन्य व्यय इडीपी सैल	0.11
4	2202 ए.1(4)(4)(9)- प्रतिभा विकास विद्यालय खोला जाना	13.10
	अनुदान सं. 7– चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	0.00
5	2210 ए. 1(3)(2)(8)- धुमपान रोकने के लिए सैल	0.31
6	2210 बी. 1(2)(1)(1)- कचरा प्रबंधन परियोजना	1.59
	अनुदान सं. 8– समाज कल्याण	0.00
7	2235 बी.2(1)(2)(5)- बाल कल्याण डे-केयर सेंटर	0.02
8	2235 बी.2(1)(3)(8)- महिला कल्याण-क्रेच	2.46
9	2235 बी.2(1)(3)(11)- बाल तथा महिला संस्थान में कर्मचारी	0.26
10	2235 बी.2(1)(4)(1)- ग्राम कुटीर गृह	2.30
11	2225 सी.1(1)(3)(12)-मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना	27.98
	अनुदान सं. 10– विकास	0.00
12	2029 एम.1(3)(1)(1)- अन्य व्य. –उत्तर पूर्वी जोन-विधानसभा कार्यकाल	0.18
13	2053 पी.3 (1)(1)-जिला स्था. – शाहदरा जोन	33.83
14	4403 बीबी.3(1)(1)-पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा अस्पतालों एवं औषद्यालयों में संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण	29.13
15	4711 डीडी.2(2)(2)(3)-यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड	0.03
	अनुदान सं. 11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण विकास	0.00
16	2217 ए.8(2)(1)(34)-डीयूएसआईबी को स्था. प्रभारों के लिए सहायता अनुदान	53.00
17	4217 एए.1(3)(1)(5)-अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	131.87
18	5054 बीबी.11(1)(1)(4) –जिला तथा अन्य सड़के अन्य व्यय सीआरएफ योजना	34.78
	कुल	**517.12**

परिशिष्ट 2.4
अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ मे)

क्र.सं.	अनुदान का नाम तथा सं.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से अधिक बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
	राजस्व प्रभारित					
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन					
1	2014 ए.1(1)(1)- उच्च न्यायालय-निर्देश एवं प्रशासन	139.85	135.60	4.25	3.55	पदों को नहीं भरा जाना,कम दौरे, सोलर हीटिंग सिस्टम की स्थापना
	राजस्व दत्तमत					
	अनुदान सं. 6- शिक्षा					
2	2202 ए.1(2)(8)1)-सामान्य- माध्यमिक शिक्षा-अन्य व्यय- अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1867.14	1785.42	81.72	40.00	रिक्त पद, कम दावों की प्राप्ति भंडार मदों की कम खरीद, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा बिलों को समाशोधित नही किया जाना
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
3	2210 बी.1(1)(1)(1)-लोकनायक अस्पताल	286.31	283.60	2.71	10.00	बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए, क्योंकि कुल प्रावधान की तुलना में बचत की मात्रा नगण्य थी
	अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण					
4	2235 बी.2(1)(2)(14)- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ सीएसएस	95.00	76.95	18.05	6.11	कारण प्रतीक्षित
5	2225 सी.1(1)(1)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को किताबों एवं स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	46.28	43.65	2.63	8.92	कारण प्रतीक्षित
6	2225 सी.1(1)(1)(7)-अ.जा./अ.ज.जा /अ.पि.व एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों – कक्षा I से XII को मेरिट छात्रवृति (एससीएसपी)	33.60	32.40	1.20	10.20	कारण प्रतीक्षित
7	2225 सी.1(1)(3)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को किताबों एवं स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	65.50	61.40	4.10	5.00	कारण प्रतीक्षित
8	2225 सी.1(1)(3)(9)- अ.जा./अ.ज.जा /अ.पि.व एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों – कक्षा I से XII को मेरिट छात्रवृति	51.01	49.66	1.35	18.19	कारण प्रतीक्षित
	कुल	**2584.69**	**2468.68**	**116.01**	**101.97**	

परिशिष्ट 2.5
अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
	राजस्व प्रभारित			
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन			
1	2014 ए.1(1)(1)-न्यायालय निर्देश एवं प्रशा.	0.22	8.02	पदों को नहीं भरा जाना, कम दौरे तथा सोलर हीटिंग सिस्टम की कम स्थापना
	राजस्व दत्तमत			
	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन			
2	2052 सी.1(1)(1)-मुख्य सचिवालय	2.00	1.54	वेतन के बकाए को आहरित न किया जाना, एमएसीपी, विदेशी दौरे सरकारी प्रेस से बिलों की प्राप्ति न होना तथा कम दावे
3	2220 एफ.1(1)(1)(1)-सूचना तथा प्रसार – जन संपर्क निदेशालय	0.57	4.69	मीडिया प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन			
4	2014 ए.1(1)(5)(1)- दिल्ली न्यायिक एकेडमी-निर्देश एवं प्रशा.	1.05	4.06	एकेडमी को नए परिसर में स्थानांतरित किए जाने में देरी
5	2014 बी.1(1)(2)-जिला एवं सेशन कोर्ट का कंप्यूटरीकरण	5.95	3.55	कंप्यूटर तथा यूपीएस की समय पर खरीद के लिए संस्वीकृति प्राप्त न होना
6	2015 एफ.1(2)-निर्वाचन अधिकारी	0.68	1.10	कारण प्रतीक्षित
7	2015 एफ.1(4)(1)-लोकसभा चुनाव	6.50	2.39	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 4- वित्त			
8	2040 एफ.1(3)(3)-व्यापार एवं कर विभाग प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया द्वारा प्रसार तथा जागरूकता	2.00	1.21	विज्ञापनों पर कम व्यय
9	3454 आई.1(1)(2)(6)-सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ई-गवर्नेस परियोजना	1.88	1.31	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 5- गृह			
10	2056 ए.1(1)(1)- जेल स्था.	0.91	25.84	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 6- शिक्षा			
11	2202 ए.1(1)(1)(1)(1)-एससीईआरटी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	2.00	1.85	भा.स.द्वारा केंद्रीय अंश कम जारी किया जाना
12	2202 ए.1(2)(4)(3)-पाठ्यक्रम की पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति	10.74	16.01	विद्यालयों द्वारा कम निधियों की माँग
13	2202 ए.1(2)(6)(1)-कर्मचारियो के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	25.00	21.43	रिक्त पदों एमएसीपी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
14	2202 A.1(2)(8)(17)- स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन	6.13	1.67	रिक्त पदों एमएसीपी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
15	2202 ए.1(4)(4)(13)- विद्यालय विस्तार कार्यक्रम	2.00	1.03	विद्यालयों द्वारा निधियो का कम उपयोग

16	2202 ए.1(4)(4)(19)- युवा योजना	1.00	1.12	चुनाव दौरे को पूरा नहीं किया जाना
17	2202 ए.1(4)(4)(21)- सेकंडरी स्टेज में असशक्तों की एकीकृत शिक्षा (आईडीएसएस-सीएसएस) (केंद्रीय अंश)	2.00	1.23	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा फ्रेशत्नए बिलों की प्रस्तुति
18	2202 ए.1(4)(4)(23)- लड़कियों में मासिक स्वच्छता	1.79	1.08	कारण प्रतीक्षित
19	2202 ए.1(4)(5)(2)-शिक्षा का अधिकार अधिनियम (एससीएसपी)	2.00	1.58	पब्लिक विद्यालयों से कम दावों की प्राप्ति
20	2236 ए.4(1)(2)(1)-बच्चों के लिए मध्यान्तर भोजन (एससीएसपी)	0.65	1.23	विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग
21	2203 बी.1(4)(1)- पॉलीटेकनीक-निर्देश एवं प्रशा.	0.41	6.30	एससीपी मामलों का कार्यान्वित नहीं किया जाना तथा रिक्त पदों को नहीं भरा जाना
22	2230 बी.2(1)(2)(1)- क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना	0.41	5.47	कारण प्रतीक्षित
23	2204 डी.1(1)(1)- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम एनसीसी/एसीसी	0.18	2.62	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना तथा चुनाव के कारण बिलों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाना
24	2202 एफ.1(1)(1)(1)- विद्यालयों में पंजाबी शिक्षा कार्यक्रम के लिए पंजाबी एकेडमी को अनुदान	1.50	1.05	टीजीटी एव पीजीटी के पारिश्रमिक की वृद्धि को कार्यान्वित नहीं किया जाना
25	2205 एफ.2(1)(10)- राजकीय समारोहों को आयोजित किए जाने के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	1.45	3.23	आदर्श आचार संहिता के कारण विभिन्न कार्यक्रमों का गैर-आयोजन
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य			
26	2210 ए.1(1)(1)(1)(1)- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी स्वास्थ्य स्था.	0.91	3.10	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति तथा बिलों की वसूली नहीं होना
27	2210 ए.1(1)(4)(7)- मौलाना आजाद दंतविज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	2.00	2.30	कारण प्रतीक्षित
28	2210 ए.1(1)(7)(1)-जेजे कलस्टरों मे मोबाईल वैन औषद्यालय (एससीएसपी)	0.21	2.47	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति
29	2210 बी.1(1)(1)(1)- लोकनायक अस्पताल	1.51	14.21	विभाग द्वारा बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि बचत की राशि कुल प्रावधान के 5% से कम थी
30	2210 एन.1(1)(1)(1)- डा. बाबा साहेब अम्बेड़कर अस्पताल	1.34	13.35	कारण प्रतीक्षित
31	2210 टी.1(1)(1)(1)- सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0.50	1.77	कारण प्रतीक्षित
32	2210 जेड.1(1)(1)(1)- डॉ. एन.सी. जोशी स्मारक अस्पताल	2.21	3.24	बिस्तरों की संख्या में वृद्धि के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा तथा भंडार मदों की गैर - खरीद

33	2210 एएफ.1(1)(1)(1)- महर्षि बाल्मिकी अस्पताल	3.14	1.80	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना तथा %014 के चुनाव आयोजन में आदर्श आचार संहिता
	अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण			
34	2235 ए.2(1)(2)(18)- असशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	9.89	1.77	कारण प्रतीक्षित
35	2235 बी.2(1)(3)(17)- गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता	1.50	1.13	कारण प्रतीक्षित
36	2235 बी.2(1)(3)(20)- विधवाओं को पेंशन	63.51	1.07	कारण प्रतीक्षित
37	2236 बी.3(1)(1)(3)- पूरक पोषण कार्यक्रम	5.82	3.07	कारण प्रतीक्षित
38	2236 बी.3(1)(1)(7)- पूरक पोषण कार्यक्रम (सीएसएस)	6.99	9.26	कारण प्रतीक्षित
39	3435 डी.5(1)(1)(3)- डीएमआरसी फीड़र बस सर्विस (जेएनएनयूआरएम)	6.84	6.84	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान 9- उद्योग			
40	2851 ए.2(5)(7)- ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सीएमएम)	1.71	1.72	ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण न होना
	अनुदान सं. 10- विकास			
41	2401 बी.1(6)(3)- पशुधन गणना कराया जाना (सीएसएस)	3.74	2.03	कारण प्रतीक्षित
42	2702 डी.2(1)(1)(2)-लघु सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए स्था. प्रभार	0.07	1.93	बचत मुख्यतः मितव्यतता उपायों के कारण
43	2711 डी.3(2)(1)(2)- निकास व्यवस्था अनुरक्षण	2.00	7.84	बचत मुख्यतः मितव्यतता उपायों के कारण
44	2015 जी.5(1)(1)(1)- केंद्रीय जिला चुनाव पर व्यय	5.95	2.12	सक्षम प्राधिकारी के गैर-अनुमोदन के कारण भुगतान नहीं किया जाना
45	2053 एच.3(1)(1)-जिला प्रशासन नई दिल्ली जोन	2.37	1.99	कारण प्रतीक्षित
46	2053 एन.3(1)(1)-जिला प्रशासन उत्तर पश्चिम जोन	0.23	1.41	कारण प्रतीक्षित
47	2015 ओ.7(1)(1)(1)-उत्तरी जिला-चुनाव पर व्यय	6.95	1.90	प्रशासनिक कारणों से चुनाव संबंधी बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
48	2217 ए.8(3)(1)(6)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान	6.25	4.08	आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना

49	2217 ए.8(3)(2)(1)-आधार भूत संरचनाओं जैसे-प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कें, गलियों, स्थानों तथा स्ट्रीट लाईट की वृद्धि तथा सशक्तीकरण	6.99	5.24	आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना
50	2216 बी.2(1)(1)(3)- गृह-सरकारी आवसीय भवन किराया, दरें तथा कर	1.60	1.58	कारण प्रतीक्षित
	पूँजी-दत्तमत			
	अनुदान सं. 9- उद्योग			
51	5475 डीडी.1(1)(1)- जिला फोरम तथा राज्य कमीशन को आवास प्रदान किया जाना	1.00	1.77	लोक सभा चुनाव %014 के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
52	4217 एए.1(3)(1)(2)- शहरी गाँवों का विकास	14.99	21.85	कारण प्रतीक्षित
53	4059 बीबी.2(1)(2)(8)- चुनाव कार्यालय भवन	1.50	1.13	कारण प्रतीक्षित
54	4202 बीबी.4(2)(2)(1)-पॉलीटेकनीक भवन	157.00	1.27	कारण प्रतीक्षित
55	4202 बीबी.4(3)(1)(3)-प्ले ग्राउंड स्वीमिंग पूलों, स्पोर्ट कॉम्प्लैक्स का विकास	6.50	2.36	कारण प्रतीक्षित
56	4250 बीबी.8(1)(1)-रोजगार आईटीआई का निर्माण	16.00	1.66	कारण प्रतीक्षित
57	5054 बीबी.11(1)(1)(1)-सड़को तथा पुलों का निर्माण	334.90	1.26	कारण प्रतीक्षित
	कुल	**755.14**	**249.13**	

परिशिष्ट 2.6
निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले
(पैराग्राफ 2.3.8 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का *प्रतिशत*	अभ्यर्पण का कारण
1	अनुदान संख्या 4- वित्त	2054 ए.1(1)(2)(1)- प्रधान लेखा कार्यालय – ई.डी.पी. सैल	33.00	31.68	96.00	योजना की धीमी प्रगति
2		4059 एफ.एफ.1(1)(1)(1)-कर एवं व्यापार एनक्सी बिल्डिंग	26.00	26.00	100.00	योजना का गैर - क्रियान्वयन
3	अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	4250 बी.बी.1(1)(2)- जनकपुरी में विश्वस्तरीय योजना उन्नयन केन्द्र	45.00	33.00	73.33	कार्य की धीमी प्रगति
4		4202 जी.जी.1(1)(1)- पुरातत्व विभाग अन्य व्यय	6.95	5.95	85.61	कार्य की धीमी प्रगति
5		4202 जे.जे.1(1)(1)(1)- भूमि का आबंटन तथा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण	15.00	14.99	99.93	कार्य की धीमी प्रगति
6		4202 जेजे.1(1)(1)(2)- अम्बेडकर विश्वविद्यालय	11.00	10.90	99.09	कार्य की धीमी प्रगति
7	अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य	2210 ए.1(2)(1)(1)(2)-नए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा पैरामेडिकल इंस्टीच्यूट की स्थापना	20.00	19.00	95.00	कार्य की धीमी प्रगति
8		2210 ए.1(3)(2)(14)- दिल्ली तपेदिक उन्मूलन समिति को सहायता अनुदान (डी.टी.यू.एस)	3.00	3.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
9		2210 ए.1(3)(4)(1)- जनस्वास्थ्य निदेशालय	15.00	11.50	76.67	कार्य की धीमी प्रगति
10		2210 आई.1(1)(1)(1)(5)-स्वाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन-कार्यालय व्यय	25.70	20.89	81.28	खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
11		2210 आई.1(1)(1)(2)-स्वाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला	5.00	4.58	91.60	प्रयोगशाला मदों की कम खरीद
12		2211 के.1(1)(1) टीक्यूएम परिवार कल्याण निदेशालय एवं व्यवस्था सुधार	2.00	2.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
13		4210 ए.ए.1(1)(1)(1)(1)-औषाधालय/स्वास्थ्य-देखभाल के लिए भवन का निर्माण	65.00	60.50	93.08	कार्य की धीमी प्रगति

14		4235 ए.ए.1(1)(2)(1)-वृद्धाश्रम	10.36	6.51	62.84	कार्य की धीमी प्रगति
15	**अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण**	6225 सी.सी.2(1)(2)(6)-अ.जा./अ.ज.जा./अपि व अल्पसंस्थको के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना के लिए डी.एस.एफ.डी.सी. को ऋण	20.00	16.00	80.00	कम ऋण जारी किया जाना
16		5055 डी.डी.1(2)(2)-बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी	140.00	140.00	100.00	इक्विटी जारी नहीं किया जाना
17		5055 डी.डी.1(3)(1)- इलेक्ट्रॉनिक-ट्राली बसे परिवहन के वैकल्पिक साधन की शुरूआत	100.00	97.00	97.00	कार्य की धीमी प्रगति
18		7055 डी.डी.4(1)(5)-बिक्री की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	75.00	75.00	100.00	कम ऋण जारी किया जाना
19		7055 डी.डी.4(2)(3)-आई एस बीटी के लिए डी.टी.टी.डी.सी को ऋण	33.00	32.00	96.97	कम ऋण जारी किया जाना
20		2852 ए.6(1)(1)(1)-खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय मिशन (सी.एस.एस)	2.50	2.00	80.00	कार्य की धीमी प्रगति
21		2230 सी.2(1)(4)(5)-दिल्ली स्वावलंब योजना	3.00	2.16	72.00	कार्य की धीमी प्रगति
22	**अनुदान संख्या 9-उद्योग**	2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास	2.50	2.50	100.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
23		2230 सी.2(1)(6)(1)(1)-दिल्ली स्वस्थ कुटंब सोसाईटी को सहायता अनुदान	4.00	4.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
24		3456 डी.1(4)(2)- घरेलु एल.पी.जी के उपभोक्ताओं को सब्सिड़ी	2.00	2.00	100.00	योजना की धीमी प्रगति
25		3456 डी.1(4)(5)-आवश्यक वस्तुओं की बढती कीमतों की रोकथाम के लिए बाजारों के हस्तक्षेप का प्रावधान	2.50	2.50	100.00	योजना की धीमी प्रगति
26		4851 ए.ए.1(1) औद्योगिक एस्टेट	150.00	100.00	66.67	योजना की धीमी प्रगति
27	**अनुदान संख्या 10-विकास**	2053 पी.3(3)(1)(2)- शाहदरा जोन नागरिकों की देखभाल के लिए आवास फंड	5.00	4.80	96.00	योजना की धीमी प्रगति
28		2053 क्यु.3(1)(1)(1)- दक्षिण-पूर्वी जोन -वेतन	1.47	1.46	99.32	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना
29		2053 क्यु.3(1)(1)(4)-दक्षिण पूर्वी जोन कार्यालय व्यय	1.50	1.37	91.33	कम व्यय
30		2053 क्यु.3(3)(1)(2)- दक्षिण पूर्वी जोन-नागरिकों की देखभाल के लिए आवास फंड	5.00	5.00	100.00	योजना का गैर – क्रियान्वयन
31		2810 आर.4(1)(1)(2)-सौर ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा	5.00	3.50	70.00	योजना की धीमी प्रगति

32		2401 आर.6(2)(2)- शहरी समूह के लिए	5.00	5.00	100.00	योजना की धीमी प्रगति
33		4425 सी.सी.3(1)(1)-दिल्ली सहकारी गृह वित्त निगम लि. (दि.स.गृ.वि.नि.) को शेयर पूँजी	30.00	30.00	100.00	शेयर पूँजी को जारी नहीं किया जाना
34	**अनुदान संख्या 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग**	2070 ए.3(2)(4)- स्थानीय निकायों का निदेशालय	20.00	19.10	95.50	निदेशालय की स्थापना न किया जाना
35		2217 ए.8(2)(1)(7)(3)- सामुदायिक केद्रों के निर्माण के लिए पूर्वी दिल्ली नगरपालिका निगम को अनुदान	12.00	12.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
36		2217 ए.8(2)(1)(17)(2)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओ के लिए दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम को सहायता अनुदान	45.00	45.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
37		2217 ए.8(2)(1)(28)-कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एन.डी.एम.सी को सहायता	45.00	45.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
38		2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी.	47.00	47.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
39		3054 ए.12(1)(1)(9)- जे.एन.एन.यू.आर.एम के लिए दिल्ली नगरपालिका निगम को स.अ.	10.00	10.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
40		3475 ए.14(1)(3)-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत सामाजिक सुविधा संगम को राज्य अंश के तौर पर अनुदान	6.50	4.50	69.23	कम अनुदान जारी किया जाना
41		2081 ई.2(2)(1)(6)-एच.टी. /एल.टी ट्रांसमिशन विद्धुत तारों को स्थानांतरित करना	15.00	11.66	77.73	योजना की धीमी प्रगति
42	**अनुदान संख्या 13: पेंशन**	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी योगदान –पेंशन प्रभार	152.50	152.50	100.00	पेंशन योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
		कुल	**1223.48**	**1123.55**		

परिशिष्ट 2.7

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ, की विवरणी

(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	सामान्य प्रशासन – प्रभारित	381.57
2	4	वित्त-प्रभारित	0.50
3	5	गृह-प्रभारित	23.45
4	9	उद्योग-प्रभारित	17.15
		कुल	**422.67**

परिशिष्ट 2.8

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई

(पैराग्राफः 2.3.9 को देखे)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत		अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1.	अनुदान संख्या 1 विधान सभा	दत्तमत	4.16	3.11	1.05
2.	अनुदान संख्या 2 सामान्य प्रशासन	दत्तमत	18.68	3.40	15.28
3.	अनुदान संख्या 3 न्याय का प्रशासन	दत्तमत	48.99	23.23	25.76
4.	अनुदान संख्या 3 न्याय का प्रशासन	प्रभारित	9.39	0.30	9.09
5.	अनुदान संख्या 4 वित्त	दत्तमत	98.01	76.01	22.00
6.	अनुदान संख्या 5 गृह	दत्तमत	45.91	6.72	39.19
7.	अनुदान संख्या 6 शिक्षा	दत्तमत	599.48	322.58	276.90
8.	अनुदान संख्या 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	दत्तमत	792.04	545.56	246.48
9.	अनुदान संख्या.8: समाज कल्याण	दत्तमत	851.84	661.25	190.59
10.	अनुदान संख्या.9: उद्योग	दत्तमत	259.00	186.52	72.48
11.	अनुदान संख्या.10: विकास	दत्तमत	523.39	400.44	122.95
12.	अनुदान संख्या.11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	977.42	706.45	270.97
13.	अनुदान संख्या.13: पेंशन	दत्तमत	154.71	152.50	2.21
	कुल		**4383.02**	**3088.07**	**1294.95**

परिशिष्ट 2.9

अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा

(पैराग्राफ **2.3.10** को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व–दत्तमत			
	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन			
1	2052 सी1 (1) (7) (1) अन्य प्रशासनिक खर्चे भागीदारी (सी एस एस)	1.00	0.00	1.00
	अनुदान सं. – 4 वित्त			
2	डी 1 (1) (2) (3) इण्डिया स्टेटिस्टीकल स्ट्रेन्थिनिंग प्रोजेक्ट(आई एस एस पी) (सी एस एस)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 6 शिक्षा			
3	2202 ए 1(2)(8)(31) विद्यालयों में अतिथि सत्कार एवं पर्यटन पाठ्यक्रम (सी एस एस)	60.00	0.00	60.00
4	2202 ए 1(2) (8) (32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों (सीएसएस) में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश	1000.00	0.00	1000.00
5	2203 बी. 1(5)(21)- राज्य परियोजना सुविधा ईकाई तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	12.00	0.00	12.00
6	2230 बी 2 (1) (2) (3) सरकारी आई.टी.आई. (सी.एस.एस.) में प्रशिक्षण अवसंरचना को प्रोन्नत करना	1.00	0.00	1.00
7	2230 बी 2 (1) (3) (1) (2) वर्तमान आई टी आई (सी एस एस) में विस्तृत प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद तथा आई टी आई का उत्कृष्टता केंद्र के रुप में उन्नयन	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य			
8	2210 ए.1(3)(2)(1)(1)- राष्ट्रीय ट्रॉकोमा तथा अंधता नियन्त्रण कार्यक्रम- सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
9	2210 ए 1 (3) (2) (1) (3) दिल्ली स्टेट ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
10	2210 ए.1(3)(2)(12)(1)- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
11	2210 ए 1 (3) (2) (12)(2) अ.जा. हेतु एससीएसपी (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
12	2210 ए 1 (4) (1) (5) राज्य रुग्णता सहायता निधि को केन्द्रीय सरकार का अंशदान (सीएसएस)	10.00	0.00	10.00
13	2210 एफ 1 (3) (1) (3) मेडिकल कालेज में भौतिक औषध व पुनर्वास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
14	2210 एफ. 1 (3) (1) (4) मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कालेजों को सुदृढ़ बनाना (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
15	2211 के.1(9)(3)- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-उप-केन्द्र (सीएसएस)	60.00	0.00	60.00
16	2210 एम.1(3)(1)(2)(1)-आयुष संस्थानत्महाविद्यालयों का विकास तथा उन्नयन सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
17	2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण			
18	2235 ए 2 (1) (7) (1) भिक्षावृति की रोकथाम के लिए स्कीम (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
19	2235 बी 2 (1) (3) (24) महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (सीएसएस)	33.00	0.00	33.00
20	2225 सी 1 (1) (1) (6) दिलशाद गार्डेन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग हेतु नया केन्द्र (एस सी एस पी)	1.00	0.00	1.00

21	2225 सी 1 (1) (1) (9) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित मकानों के विद्युतीकरण हेतु सब्सिडी [एस सी/ एस टी (एस सी एस पी) हेतु हाऊसिंग सब्सिडी]	10.00	0.00	10.00
22	2225 सी 1 (1) (1) (14) राजीव गाँधी रत्न आवास योजना के अन्तर्गत एस सी स्लम निवासियों को आर्थिक सहायता हेतु डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	101.00	0.00	101.00
23	2225 सी1 (1) (1)(15) एस सी हेतु शिक्षा हब (एससीएसपी)	100.00	0.00	100.00
24	2225 सी. 1(1)(1)(16)- "मातृ शिशु सुरक्षा योजना" (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत अ.जा. गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
25	2225 सी 1 (1) (1) (17) एस सी महिलाओं के लिए एन्टीनैटल केस इन्सटीट्शनल डिलिवरी उप्लब्ध कराने हेतु दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	100.00	0.00	100.00
26	2225 सी 1 (1) (3) (7) कोचिंग एण्ड एलाईड स्कीम (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00
27	2225 सी.1(1)(4)(2)- सिविल राईट अधिनियम 1955 तथा अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 (सी.एस.एस.) का कार्यान्वयन	100.00	0.00	100.00
28	2225 सी.1(1)(4)(3)- अनुसूचित जाति संघटक योजना (सी.एस.एस.) हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	50.00	0.00	50.00
29	2225 सी.1(3)(2)(2)- डा. अम्बेडकर रत्न अवार्ड का प्रारंभ (एस.सी.एस.पी.)	2.00	0.00	2.00
30	3452 ई.1(1)(5)- सैयद-उद-अजैब (सी.एस.एस.) में टूरिस्ट काम्पलैक्स	54.00	0.00	54.00
31	3452 ई 1 (2) (3) (1) गार्डेन फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	2.00	0.00	2.00
32	3452 ई 1 (2)(3) (6) छावला एवं कंगनहेरी जल क्रीड़ा के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	145.00	0.00	145.00
33	3452 ई 1 (2)(3) (9) संजय लेक में सॉफ्ट एडवेन्चर पार्क के विकास हेतु डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	90.00	0.00	90.00
34	3452 ई 1(2) (3) (12) दिल्ली हाट, आईएनए नई दिल्ली में नई सुविधाएँ हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	15.00	0.00	15.00
35	3452 ई 1 (2) (3) (13) इंगिफेस्ट के आयोजन हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00
	अनुदान सं. 9 उद्योग राजस्व दत्तमत			
36	2851 ए.2(5)(7)- ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण	172.06	0.00	172.06
37	2851 ए 2(6) (9) हथकरघा वस्त्र की विक्री पर छूट (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
38	2851 ए 2 (6) (11) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना हेतु हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सीएसएस)	100.00	0.00	100.00
39	2851 ए 2 (9) (5) हस्तशिल्प को प्रोत्साहन (एससीएसपी)	1.00	0.00	1.00
40	2852 ए 6 (1) (1) (1) खाद्य प्रक्रिया पर राष्ट्रीय मिशन (सीएसएस)	250.00	0.00	250.00
41	2230 सी 2 (1) (7)(3) बाल श्रमिक का पुनर्वास (एस सी एस पी)	50.00	0.00	50.00
42	3456 डी 1 (3)(2) उपभोक्ता जागरुकता प्रोग्राम (सीएसएस)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 10 विकास			
43	2402 बी 2 (2) (1) सिलाइन प्रभावित भूमिका मृदा परीक्षण एवं मृदा सुधार (एस सी एस पी)	1.20	0.00	1.20
44	2403 बी 3 (2) (9) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (पशु रोग नियंत्रण) (सीएसएस)	50.00	0.00	50.00
45	2245 ई.8(2)(1)(3)- भूकम्प जोखिम प्रबन्धन हेतु क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00

46	2245 ई 8 (2) (1) (4) राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा प्रोग्राम (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
47	2506 ई.10(1)(1)- भूमि लेखों का कम्पयूटरीकरण (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
48	2070 ई.16(1)(1)(2)- सिविल सुरक्षा की पुनर्मरम्मत (सी.एस.एस.)	80.00	0.00	80.00
49	2406 एफ.2(2)(1)(4)- पशुओं की देखभाल के लिए शैल्टर हाऊस का प्रावधान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
50	2406 एफ 2 (2) (1) (5) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटि वन्यजीव अभ्यारण्य का विकास (सीएसएस)	3.20	0.00	3.20
51	3435 आर.2(3)(2)(1)- पर्यावरण की उन्नति, उन्मूलन तथा रोकथाम में एन.जी.ओ. को सहायता (एस.सी.एस.पी.)	4.00	0.00	4.00
	अनुदान संख्या. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
52	2216 ए.7(1)(2)(3)- राजीव आवास योजना (डी.यू.एस.आई.बी.) (एस.सी.एस.पी.)	125.00	0.00	125.00
53	2216 ए.7(1)(2)(4)- कमजोर वर्गों के लिए गृहों के निर्माण के लिए न.दि.न.पा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (एम.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
54	2217 ए.8(2)(3)(3)(1)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
55	2217 ए.8(2)(3)(3)(2)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
56	2217 ए.8(2)(3)(3)(3)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
57	2217 ए.8(3)(1)(4)- जे.एन.एन.यू.आर.एम के अंतर्गत बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन के प्रति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
	राजस्व – प्रभारित			
	अनुदान संख्या 3: न्यायिक प्रशासन			
58	2014 ए. 1 (1) (2)- न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायों के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	15.80	0.00	15.80
	पूंजीगत – दत्तमत			
	अनुदान संख्या 6: शिक्षा			
59	4202 जीजी.1 (1) (1) (4)- डी.टी.टी.डी.सी. (सी.एस.एस.) द्वारा स्मारकों का संरक्षण, दीप सज्जा (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान संख्या 8: सामाजिक कल्याण			
60	6225 सीसी.2(1)(2)(6)- अ.जा./अ.ज.जा. /अ.पि.व. पिछड़े वर्गों के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डी.एस.एफ.डी.सी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.)	2000.00	0.00	2000.00
61	5452 ईई.1(1)(2)(1)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सी.एस.एस.)	17.00	0.00	17.00
	अनुदान संख्या 9: उद्योग			
62	6851 एए 3 (4)(2) करघों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण (एस सी एस पी)	1.20	0.00	1.20
	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लो.नि.वि.			
63	4250 बीबी.8(2)(4)(1)- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना – वर्ल्ड बैंक अंश (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
	कुल	**5680.46**	**0.00**	**5680.46**

परिशिष्ट 2.10
वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (2013-14)		मार्च 2014 में किए गए व्यय	
					राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
1.	**06 शिक्षा**	2202 ए.1(2)(8)(1)(7)-आपूर्ति तथा मदें-विद्यालय को अतिरिक्त सुविधायें-अन्य व्यय-योजना	17.00	11.50	11.07	96.26	10.88	94.61
2.		4202 एए.1(1)(1)(1)-वी.के.एस. योजना द्वारा स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण	26.00	23.93	17.97	75.09	15.07	62.98
3.		2204 ए.2(4)(1)-बकाया खिलाड़ी/स्पोर्टसमैन तथा राजीव गाँधी स्पोर्टल अवार्ड योजना को नकद प्रोत्साहन	5.76	4.56	3.23	70.83	3.04	66.67
4.		2202 ए.1(4)(5)(2)-शिक्षा अधिनियम अधिकार (एस.सी.एस.पी.) – योजना	4.50	2.92	2.37	81.16	2.37	81.16
5.		2203 बी.1(5)(19)(1)-स.अ. सामान्य - योजना	6.00	6.00	5.50	91.67	5.50	91.67
6.		2203 बी.1(5)(19)(2)-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना	6.00	6.00	4.00	66.67	4.00	66.67
7.		2203 बी.1(5)(19)(3)-स.अ.- वेतन-योजना	8.00	8.00	5.50	68.75	5.50	68.75
8.	**07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	2210 ए.1(4)(1)(9)-पेंशन भोगियों को दिल्ली सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सुविधाएँ –गैर-योजना	57.00	56.98	17.08	29.98	17.04	29.91
9.		2210 ए.1(1)(4)(10)(1)-स.अ.- सामान्य-योजना	33.50	33.50	33.50	100.00	33.50	100.00
10.		2210	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00

		ए.1(1)(4)(10)(2) - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना						
11.	**08 समाज कल्याण**	2235 ए.2(1)(8)(1)-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (बुजुर्गों की सहायता का विस्तार)-योजना (एस.सी.एस.पी.)	49.00	49.00	49.00	100.00	49.00	100.00
12.		2235 ए.2(1)(3)(10)-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (बुजुर्गों की सहायता का विस्तार)-योजना	492.00	487.15	428.89	88.04	223.14	45.81
13.		2235 बी.2(1)(3)(20)-विधवाओं को पेंशन-योजना	212.52	211.45	211.45	100.00	211.45	100.00
14.		2235 बी.2(1)(7)(2)-विधवाओं को पेंशन (एस.सी.एस.पी.)-योजना	16.68	16.68	16.68	100.00	16.68	100.00
15.	**10 विकास**	4059 ईई.2(1)(1)(1)-उप-आयुक्त कार्यालय-योजना	55.00	39.96	21.61	54.08	21.04	52.65
16.	**11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग**	6801 ईई.1(3)(3)(1)-प्रगति पावर परियोजना 111 बवाना-योजना को ऋण	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
17.		6801 ईई.1(5)(2)-दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को ऋण	202.00	202.00	202.00	100.00	102.00	50.50
18.		4801 ईई. 2(1)(2)(1)-भूमि का क्रय	21.34	21.34	20.17	94.52	20.17	94.52
		कुल	**1317.3**	**1285.97**	**1105.02**		**795.38**	

परिशिष्ट 2.11
पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी
(पैराग्राफ 2.5 (ख) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग की सं तथा नाम	अनुदानों के लिए दी गई मांग में मूल अनुदान/विनियोग (डी.डी.जी.)	वास्तविक व्यय
	अनुदान सं. 2 – सामान्य प्रशासन		
1	2052 सी.1 (1) (9) (3)-मोटर वाहन (2052 00 090 19 00 51)	0.01	0.00
	अनुदान सं. 4 – वित्त		
2	2039 ई.1 (3) (1) (8)- मोटर वाहन (2039 00 104 99 00 51)	0.05	0.00
	अनुदान सं. 5 – गृह		
3	2056 ए.1 (1) (1) (8)- मोटर वाहन (2056 00 001 99 00 51)	1.00	0.16
4	2070 सी.1 (1) (2) (9)- मोटर वाहन (2070 00 108 99 00 51)	3.50	3.50
5	2055 डी.1 (1) (1) (7)- मोटर वाहन (2055 00 116 99 00 51)	0.07	0.03
	अनुदान सं. 6 – शिक्षा		
6	2203 बी.1 (5) (5) (12)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 51)	0.01	0.00
7	2205 जी.1 (1) (1) (6)- मोटर वाहन (2205 00 103 99 00 51)	0.05	0.00
	अनुदान सं. 7 – चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
8	2210 बी.1 (1) (1) (1) (10)- मोटर वाहन (2210 01 110 86 00 51)	0.52	0.24
9	2210 सी.1 (1) (1) (1) (10)- मोटर वाहन (2210 01 110 87 00 51)	0.06	0.11
10	2210 एफ.1 (1) (1) (1) (6)- मोटर वाहन (2210 01 110 53 00 51)	0.06	0.07
11	2210 एच.1 (1) (1) (1) (5) (4)- मोटर वाहन (2210 05 105 99 87 51)	0.01	0.005
12	2210 आर.1 (1) (1) (1) (9) - मोटर वाहन (2210 01 110 25 00 51)	0.04	0.00
13	2210 वी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 29 00 51)	0.04	0.03
14	2210 डब्लू.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 77 00 51)	0.01	0.01
15	2210 एबी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 789 97 00 51)	0.10	0.07
16	2210 एसी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 40 00 51)	0.02	0.01
17	2210 एई.1 (1) (1) (1) (9) - मोटर वाहन (2210 01 789 95 00 51)	0.10	0.08
18	2210 एएफ.1 (1) (1) (1) (6) - मोटर वाहन (2210 01 110 79 00 51)	0.05	0.00
19	2210 एआई.1 (1) (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 02 102 60 99 51)	0.014	0.002
	अनुदान सं. 9 – उद्योग		
20	2230 सी.2 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2230 01 001 99 00 51)	0.12	0.00

	अनुदान सं. 10–विकास		
21	2403 बी.3 (1) (1) (8) - मोटर वाहन (2403 00 001 99 00 51)	0.05	0.02
	कुल	**5.884**	**4.337**
	अनुदान सं. 5 – गृह		
22	2070 बी.1 (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण, औजार तथा संयंत्र (2070 00 106 95 00 52)	0.15	0.00
23	2070 सी.1 (1) (2) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 108 99 00 52)	9.00	5.50
24	2055 डी.1 (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2055 00 116 99 00 52)	2.75	2.91
	अनुदान सं. 6 – शिक्षा		
25	2203 बी.1 (4) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 105 86 00 52)	1.90	1.96
26	2203 बी.1 (5) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 72 00 52)	0.30	0.39
27	2203 बी.1 (5) (5) (8)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 52)	2.00	0.88
28	2230 बी.2 (1) (2) (1) (9)- मशीनरी तथा उपकरण (2230 03 03 99 00 52)	3.00	0.00
29	2203 सी.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 63 00 52)	6.51	5.29
30	2205 जी.1 (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 103 99 00 52)	0.05	0.00
31	2205 एच.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 104 98 00 52)	0.10	0.00
32	2203 आई.1 (1) (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 65 99 52)	2.13	0.91
33	2203 के.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 64 00 52)	0.40	0.16
	अनुदान सं. 7– चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
34	2210 बी.1 (1) (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 86 00 52)	25.00	14.47
35	2210 सी.1 (1) (1) (1) (8)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 87 00 52)	19.00	8.22
36	2210 डी.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 89 00 52)	1.69	0.00
37	2210 ई.1 (1) (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 91 00 52)	17.55	2.00
38	2210 एफ.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 53 00 52)	38.00	8.75
39	2210 जी.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 97 00 52)	3.80	5.17
40	2210 एच.1 (1) (1) (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 99 52)	3.50	2.06
41	2210 एच.1 (1) (1) (1) (5) (3)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 87 52)	5.00	0.85
42	2210 एल.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 62 00 52)	7.00	1.62
43	2210 एम.1 (1) (2) (3) (7) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 63 00 52)	0.15	0.002
44	2210 एन.1 (1) (1) (1) (4) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 67 00 52)	5.00	0.46
45	2210 ओ.1 (1) (1) (1) (2) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 66 00 52)	65.00	0.87
46	2210 पी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 17 00 52)	2.67	0.56
47	2210 क्यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 27 00 52)	1.30	0.10

48	2210 आर.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 25 00 52)	2.86	0
49	2210 एस.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 16 00 52)	0.15	0.003
50	2210 टी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 30 00 52)	1.20	0.13
51	2210 यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 26 00 52)	0.39	0.007
52	2210 वी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 29 00 52)	1.74	0.41
53	2210 डब्ल्यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 77 00 52)	1.50	0.20
54	2210 एक्स.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 78 00 52)	2.00	0.35
55	2210 वाई.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 23 00 52)	0.50	0.21
56	2210 जड.1 (1) (1) (1) (8) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 85 00 52)	0.60	0.14
57	2210 एबी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 97 00 52)	2.00	1.59
58	2210 ए,.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 40 00 52)	3.80	0.37
59	2210 एडी.1 (1) (1) (1) (4) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 96 00 52)	3.00	0.61
60	2210 एई.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 95 00 52)	1.00	0.36
61	2210 एएफ.1 (1) (1) (1) (8) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 79 00 52)	5.09	2.24
62	2210 एजी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 65 00 52)	2.00	0.28
63	2210 एएच.1 (1) (1) (1) (9) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 101 71 00 52)	1.90	0.00
64	2210 एआई.1 (1) (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 99 52)	0.05	0.004
	अनुदान सं. 10 - विकास		
65	2711 डी.3 (2) (1)(1) – औजार तथा संयंत्र (2711 03 052 99 00 52)	0.02	0.00
66	2070 ई.16 (1) (1)(1) (6) - मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 800 64 99 52)	2.12	0.00
	कुल	**254.870**	**70.036**
	अनुदान सं. 11 – शहरी विकास लोक निर्माण		
67	2059 बी.1 (1) (2) - निर्माण (2059 80 051 00 00 53)	7.00	4.93
68	2216 बी.2 (1) (1)(1) - निर्माण (2216 01 106 98 00 53)	1.70	1.08
	कुल	**8.70**	**6.01**
	सकल कुल	**269.454**	**80.383**

परिशिष्ट 2.12

संसद/विधानसभा के पूर्व अनुमोदन के बगैर निकायों/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों में वृद्धि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा अधिक)

(पैराग्राफ 2.5 (सी) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	पुनर्विनियोग	कुल अनुदान	पुनर्विनियोग के लिए कारण
	अनुदान संख्या 6– शिक्षा					
1	2202- ए. (1)(1)(1) (1)- एससीईआरटी को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	12.00	0.00	2.00	14.00	अधिक अनुदानों का द्विभाजन तथा जारी किया जाना
2	2236- ए. 4(1)(1)(6)- मिड़ डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान	1.40	0.00	0.52	1.92	अनुदान का द्विभाजन
3	2203- बी. 1(5)(19)- महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	10.00	0.01	9.99	20.00	अनुदान का द्विभाजन
4	2205- एफ. 2(1)(2)- उर्दू अकादमी को अनुदान	6.30	0.00	0.72	7.02	अनुदान का द्विभाजन
5	2205- एफ. 2(1)(10)- राज्य समारोह संगठन के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	13.50	0.00	1.45	14.95	अनुदान का द्विभाजन
6	2205- एफ. 2(1)(20)- लाईफ टाईम अचिवमेंट के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.55	0.56	अनुदान का द्विभाजन
7	2202- जे. 1(1)(1)(1)- डिग्री कॉलेज को सहायता अनुदान	133.20	0.01	9.19	142.40	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 7– चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
8	2210- ए.1(1)(4)(7)-मौलाना आजाद इन्सटीटीयूट ऑफ डेन्टल साईंस को सहायता अनुदान	25.00	0.00	2.00	27.00	अनुदान का द्विभाजन
9	2210- ए.1(1)(4)(9)-दीन दयाल उपाध्याय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान	0.00	0.01	4.29	4.30	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
10	2210- ए.1(1)(4)(10)- राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	40.46	40.47	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
11	2210- ए.1(1)(4)(11)- चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	5.99	6.00	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
12	2210- ए.1(3)(3)(14)-संविदात्मक कर्मचारियों के परिश्रमिकों के लिए दिल्ली राज्य एड्स नियन्त्रण सोसायटी को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.59	0.60	बकार्यो के भुगतान के लिए

13	2210- एम.1(1)(1)(12)-खेड़ा डाबर पर दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	17.00	0.01	1.99	19.00	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 8– सामाजिक कल्याण					
14	2235- ई.7(2)(2)(1)-दिल्ली हज कमेटी को सहायता अनुदान	1.00	0.01	0.99	2.00	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 11– शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग					
15	2202- ए.4(1)(1)(1)(2)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	447.33	0.00	5.26	452.59	अनुदान का द्विभाजन
16	2202- ए.4(1)(1)(1)(3)-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	341.64	0.00	4.02	345.66	अनुदान का द्विभाजन
17	2202- ए.4(1)(1)(1)(4)-पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	226.30	0.00	2.66	228.96	अनुदान का द्विभाजन
18	2215- ए.6(1)(1)(1)-अनाधिकृत कॉलोनियों में पोर्टेबल जल की आपूर्ति किए जाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	80.00	0.01	49.99	130.00	अनुदान का द्विभाजन
19	2215- ए.6(1)(1)(7)-सू.त./गुणवत्ता नियन्त्रण/पर्यावरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	8.50	0.01	20.49	29.00	अनुदान का द्विभाजन
20	2216- ए.7(1)(1)(1)-रात्रि निवास के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. (स्लम) (दि.न.नि.) को अनुदान	12.00	0.01	7.99	20.00	अनुदान का विभाजन
21	2216- ए.7(1)(1)(2)-कमजोर वर्गों (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के लिए गृहों के निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	131.25	0.01	78.74	210.00	अनुदान का द्विभाजन
22	2216- ए.7(1)(2)(1)-कमजोर वर्गों (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (एस.सी.एस.सी.) के गृह निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	18.75	0.01	11.24	30.00	अनुदान का द्विभाजन
23	2217- ए.8(1)(1)(2)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम झु.झो.आ. कॉलोनियों मे अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान के लिए अनुदान	17.00	0.01	0.99	18.00	अनुदान का द्विभाजन
24	2217- ए.8(1)(2)(3)(4)-कटरा निवासियों (एस.सी.एस.पी.) को पर्यावरणीय सुधार तथा पुनःस्थापना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	1.25	0.01	0.72	1.98	अनुदान का द्विभाजन

25	2217- ए.8(2)(1)(3)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता-सेवायों की सुदृढ़ता तथा कार्यप्रणाली के लिए अनुदान	100.00	0.01	39.99	140.00	अनुदान का द्विभाजन
26	2217- ए.8(2)(1)(3)(3)-संरक्षणता तथा स्वच्छता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा कार्यप्रणाली के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	50.00	0.01	14.99	65.00	अनुदान का द्विभाजन
27	2217- ए.8(2)(1)(24)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अप्राधिकृत कॉलोनियों में सफाई के लिए अनुदान	25.00	0.01	9.99	35.00	अनुदान का द्विभाजन
28	2217- ए.8(2)(1)(24)(2)-दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अप्राधिकृत कॉलोनियों में सफाई के लिए अनुदान	30.00	0.01	19.99	50.00	अनुदान का द्विभाजन
29	2217- ए.8(2)(3)(5)-डी.यू.एस.आई.बी. को उपयोग तथा भुगतान जन सुविधा परिसरों में (एस.सी.एस.पी.) निर्माण के लिए अनुदान	0.50	0.01	14.99	15.50	अनुदान का द्विभाजन
30	2217- ए.8(2)(3)(9)-अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	15.00	0.01	14.99	30.00	अनुदान का द्विभाजन
31	3054- ए.12(1)(1)(7)-शहरी सड़को-सी.आर.एफ.स्कीम के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम सेवाओं को अनुदान	20.00	0.01	23.74	43.75	अनुदान का द्विभाजन
32	3054- ए.12(1)(1)(11)-पूर्वी दिल्ली नगर सेवाओं को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए अनुदान	10.00	0.02	9.98	20.00	योजना की अच्छी प्रगति
	कुल	**1753.92**	**0.25**	**411.49**	**2165.66**	

परिशिष्ट 3.1
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/ प्राधिकरणों के नाम[1]	लेखों की लेखापरीक्षा का नि.म.ले.प. को सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें (पृ.ले.प.प्र.) जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुत की गई पृ.ले.प.प्र.	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 10 वर्ष तक	2011-12	2011-12 हेतु पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	विधायिका में पेश नहीं की गई	2012-13	1
2.	गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सि.इं.प्र.वि.)	नि.म.ले.प. का स्पष्टीकरण देखें नि.म.ले.प. की दिनांक 15 जनवरी 2004 की पत्र सं. 14 लेखापरीक्षा-II/128-98	2012-13	2012 -13 हेतु पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2007-08 से 5 वर्ष तक	2008-09	2008-09 की पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2009-10 से 2012-13	4
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प.के कार्यालय का स्पष्टीकरण देखें नि.म.ले.प. की दिनांक 16 दिसंबर 2003 की पत्र सं. 497 रिप(सी.) 88-2000	2007-08	2007-08 का पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2008-09 से 2012-13	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बोर्ड को गठित एवं अधिसूचित किया गया था	2011-12	2011-12 का पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2012-13	1
6.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अल्पसंस्थक विकलांग वित्तीय विकास निगम लि.	अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2003-04	2003-04 की पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	-	2004-05 से 2012-13	9
7	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	स्थापना से	2012-13	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
8	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.प्रा.)	स्थापना से	2012-13	2012-13	2012-13	-	-
9	इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान – दिल्ली (आईआईआईटी-डी)	आईआईआईटी-डी अधिनियम के अनुसार सुपुर्दगी	2012-13	प्रक्रिया चल रही है	स्थिति प्रतीक्षित	-	-

[1] दिल्ली की विद्युत शक्ति वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम)–बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) तथा टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), जिनकी लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 20 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा जनवरी 2014 में सौंपी गयी। डिस्कॉम की लेखापरीक्षा चल रही है (फरवरी 2015)।